चारागाह व बंजर भूमि विकास हेतु संदर्भ पुस्तिका

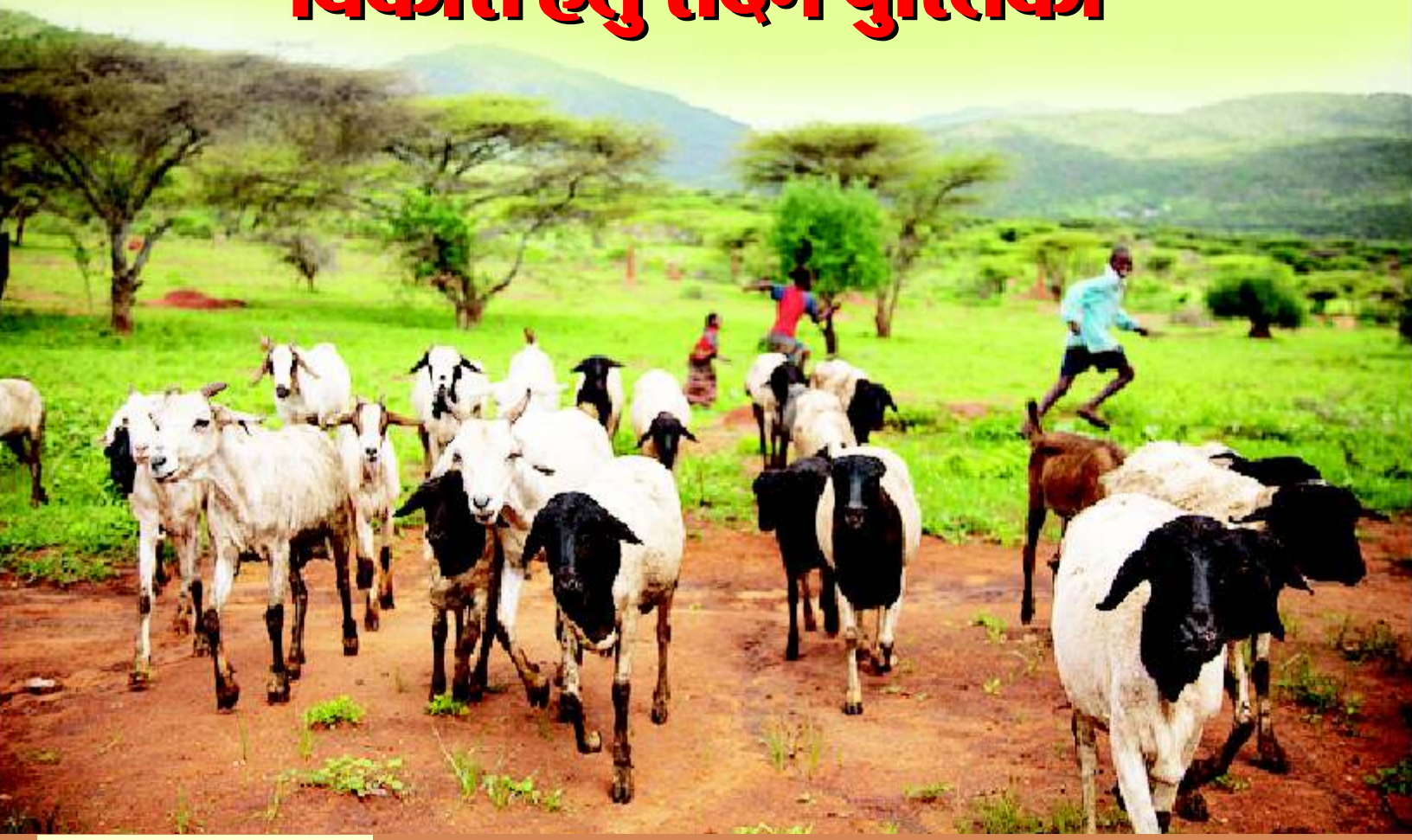

मनरेगा तहत
चारागाह विकास

Pastureland Development Under MGNREGA

सत्यमेव जयते

राजस्थान बंजरभूमि विकास बोर्ड एवं बायोफ्यूल प्राधिकरण
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार

सुरेन्द्र गोयल

मंत्री,
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
राजस्थान सरकार

6119, मंत्रालय भवन, शासन सचिवालय,
जयपुर - 302005 (राजस्थान)
कार्यालय दूरभाष : 0141-2227781
PBX : 5153222, 5153223, Extn. 21401

संदेश

राजस्थान राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अंतर्गत राजस्थान वेस्टलैण्ड डवलपमेंट बोर्ड एवं बायोफ्यूल प्राधिकरण के द्वारा बंजर भूमि विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बंजर भूमि विकास, चारागाह विकास एवं शामलात भूमि के प्रबंधन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। इन प्रशिक्षणों हेतु यह प्रशिक्षण मोड्यूल तैयार किया गया है।

मुझे खुशी है कि शामलात संसाधनों एवं चारागाह विकास कार्य राज्य सरकार द्वारा गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर, मनरेगा से अभिसरण कर किया जा रहा है। जिससे राज्य में भूमि एवं जल संरक्षण, चारागाह विकास, पौधारोपण एवं शामलात संसाधनों का रख-रखाव कर राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में सुव्यवस्थित विकास होगा। जिससे ग्रामीणों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के अभिशरण का लाभ प्राप्त होने के साथ ही ग्राम संस्थाओं के संगठन निर्माण की संरचना एवं ग्रामीण संस्थाओं के रिकार्ड का संधारण इत्यादि सुव्यवस्थित तरीके से हो सकेगा, साथ ही राजस्थान की सार्वजनिक भूमि को बंजर होने से बचाया जाकर आय सृजन एवं रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकेंगे।

अत: मैं राजस्थान की सभी ग्रामीण जनता से अनुरोध करता हूँ कि राजस्थान की विभिन्न योजनाओं के अभिशरण का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें।

शुभकामनाओं सहित ।

17.3.2015

(सुरेन्द्र गोयल)

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
पाठ–1	**मनरेगा का परिचय**	3
1.1	मनरेगा का परिचय	3
1.2	मनरेगा के उद्देश्य	4
1.3	मनरेगा में संभावनाएँ	4
1.4	मनरेगा में प्रस्तावित गतिविधियाँ	5
1.5	मनरेगा में क्या नहीं किया जा सकता ?	7
1.6	नरेगा के तहत श्रम बजट तैयार करने और उसे अंतिम रूप देने के कार्य में शामिल विभिन्न चरणों की समय–सीमा	8
पाठ–2	**मनरेगा अन्तर्गत शामलात संसाधनों का विकास**	9
2.1	शामलात संसाधनों (भूमि व जल) को मनरेगा के माध्यम से विकसित करने के चरण	9
2.2	मनरेगा योजना के अन्तर्गत चरागाह विकास हेतु किए जाने वाले कार्य	10
पाठ–3	**चरागाह भूमि विकास समिति की भूमिका एवं गठन**	12
3.1	चारागाह भूमि विकास समिति की भूमिका और ज़िम्मेदारियां	12
3.2	चारागाह भूमि विकास समिति गठन के विभिन्न चरण	12
पाठ–4	**चरागाह विकास के तकनीकी तरीक़े**	14
4.1	भूमि विकास	14
4.2	भूमि व जल संरक्षण	15
4.3	चारागाह विकास हेतु पौधारोपण	19
पाठ–5	**सामलात संसाधनों को कैसे सुरक्षित किया जाए**	23

अध्याय–1

मनरेगा का परिचय

1.1 मनरेगा का परिचय

देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले ज़्यादातर गरीब लोग अकुशल, दिहाड़ी, शारीरिक मज़दूरी से मिलने वाली मज़दूरी पर आश्रित रहते हैं। वे अकसर न्यूनतम साधनों से अपना गुज़ारा करते हैं और गहन गरीबी की निरंतर आशंका में जीते हैं। श्रम की अपर्याप्त माँग तथा प्राकृतिक आपदा अथवा बीमारी जैसे अनपेक्षित संकट सभी उनके रोज़गार अवसरों पर बहुत बुरा असर डालते हैं।

रोज़गार कार्यक्रमों में सिंचाई, वृक्षारोपण, जल संरक्षण एवं सड़क निर्माण जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं में सीमित अवधि के लिए अकुशल शारीरिक श्रम मुहैया कराया जाता है। इन कार्यक्रमों के कारण स्थाई सम्पदाओं का निर्माण होता है जिनके कारण दूसरे चक्र के रोज़गार भी पैदा होने लगते हैं क्योंकि उनके लिए ज़रूरी बुनियादी ढांचा अस्तित्व में आ जाता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) या नरेगा (मनरेगा) एक महत्वाकांक्षी व विकास पटल का एक अभिनव प्रयोग है। यह भारत का ही नहीं, अपितु विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है जिसमें सामाजिक–आर्थिक अधिकारों को कानून के ज़रिये स्थापित करने का प्रयास किया गया है। आरम्भ में इसे नरेगा और 2009 के पश्चात् मनरेगा के रूप में जाना गया। राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी अधिनियम (नरेगा) भारतीय संसद द्वारा वर्ष 2005 में पारित किया गया।

नरेगा पहला ऐसा केन्द्रीय अधिनियम है जिसमें योजनाएं बनाने, उन्हें पास करने और उनके क्रियान्वयन संबंधी अधिकार पंचायतों को दिए गए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) 2005 का लक्ष्य है कि ग्रामीण इलाकों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को पुष्ट करने के लिए एक वित्त वर्ष के दौरान ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिन का मजदूरी–आधारित रोजगार मुहैय्या कराया जाए जिसके सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हैं। इस कानून का दूसरा मकसद स्थायी संपदाओं का निर्माण करना और ग्रामीण गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को मजबूती देना है। इस अधिनियम में सुझाए गए कामों में सूखा, वन विनाश, मृदा क्षरण, आदि ऐसे कारणों को दूर करने का प्रयास किया गया है जो स्थायी गरीबी को जन्म देते हैं। इसके पीछे सोच रही है कि रोजगार संवर्द्धन की प्रक्रिया एक टिकाऊ आधार पर चलती रहे।

मनरेगा के अन्तर्गत नाम पंजीकरण के 15 दिन के भीतर फोटो लगा जॉब कार्ड जारी करना, समुदाय के समक्ष इनका वितरण करना, तथा वर्ष में एक बार नाम जोड़ने व हटाने का प्रावधान है। 15 दिन के अन्दर रोजगार उपलब्ध कराना है। जॉब कार्ड की हस्ताक्षरित एक प्रतिलिपि पंचायत

सचिव के पास रहती है। यह जॉब कार्ड 5 वर्ष तक मान्य रहता है। यदि यह जॉब कार्ड खो जाये तो अर्जी देने पर 15 दिन के अंदर ग्राम पंचायत को डुप्लीकेट उपलब्ध कराना होता है (मनरेगा अधिनियम की धारा 5 अनुसूची 2)। इस व्यवस्था के तहत लोगों को कम से कम 14 दिन के सतत काम की मांग करनी होती है। पंचायत को 5 कि.मी. की परिधि में रोजगार उपलब्ध कराना होता है, और यदि इस सीमा से बाहर रोजगार मिलता है तो 10 प्रतिशत अधिक मजदूरी का भुगतान करना होता है। योजना अमलीकरण की मुख्य एजेन्सियों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत हैं। पंचायत सचिव, ब्लॉक व जिला समन्वयक इस योजना के अमलीकरण के लिए प्रमुख जिम्मेदार अधिकारी हैं।

1.2 मनरेगा के उद्देश्य

इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार (जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम कार्य करना चाहते हैं) को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना है तथा टिकाव परिसम्पत्तियाँ सृजित करना है। अन्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:-

(1) रोजगार के अवसर उपलब्ध कराके ग्रामीण भारत में रहने वाले सर्वाधिक लाभ वंचित लोगों के लिए आजीविका सुरक्षा।

(2) टिकाऊ विकास स्वरूप गाँव की परिसम्मत्तियों के सृजन, उन्नत जल सुरक्षा, मृदा संरक्षण और अधिक भूमि उत्पादकता के जरिए निर्धनों के लिए आजीविका सुरक्षा।

(3) ग्रामीण भारत में सूखा रोधन और बाढ़ नियंत्रण।

(4) अधिकार आधारित कानूनी प्रक्रिया के जरिये सामाजिक रूप से वंचितों (विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों) को अधिकार सम्पन्न बनाना।

(5) विभिन्न आजीविका संबंधी कार्यों में तालमेल के जरिये विकेन्द्रीकृत तथा भागीदारी-पूर्ण नियोजन को सुदृढ़ करना।

(6) पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करके जमीनी स्तर पर मजबूत लोकतंत्र को कायम करना।

(7) शासन में बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही लाना।

इस प्रकार मनरेगा सामाजिक सुरक्षा, आजीविका सुरक्षा और लोकतांत्रिक अधिकारिता पर अपने प्रभाव के जरिए ग्रामीण भारत में समावेशी विकास सुनिश्चित करने का एक सशक्त माध्यम है।

1.3 मनरेगा में संभावनाएँ

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नवजीवन के संचार से लेकर लोकतंत्र की सुधारात्मक प्रक्रिया का मनरेगा के माध्यम से उदय हुआ है। इस योजना के क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्र के करोड़ों जरूरतमन्द व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है और साथ ही गरीबी एवं बेरोजगारी में भी कमी आयी है। रोजगार

गारण्टी अधिनियम से श्रमिकों को अधिक अधिकार प्राप्त होंगे और वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी होंगे।

भारत में मनरेगा के क्रियान्वयन में निहित सम्भावनाएं निम्नानुसार हैं:-

1. देश के ग्रामीण जरूरतमंद परिवारों को सामाजिक सुरक्षा के रूप में रोजगार उपलब्ध करवाना।
2. कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का सतत् विकास करने के लिए रोजगार प्रदान करना। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहाँ अत्यधिक गरीबी है और सूखा व मिट्टी कटाव से जीविका के साधन समाप्त हो गए हैं, वहाँ रोजगार उपलब्ध करवाना।
3. नरेगा के द्वारा गांवों के शामलात संसाधनों जैसे चरागाह, ओरण, तालाब, नाड़ी आदि का सृजन हो सकता है जिससे गाँवों की परिसम्मत्ति क़ायम व सुदृढ़ रह सकती है, और आगे जाकर लोगों की जीविका का साधन बन सकती है।
4. नरेगा के तहत पुराने जल संसाधनों का पुनः विकास सम्भव है।
5. जमीनी लोकतंत्र और शासन में पारदर्शिता को आधार बनाकर जीविका के नए रास्ते मनरेगा के तहत तैयार किये जा सकते हैं।

1.4 मनरेगा में प्रस्तावित गतिविधियाँ

भारत सरकार पत्र दिनांक 20 दिसम्बर 2013 के अनुसार मनरेगा में संभावित गतिविधियां पूर्व में 16 प्रकार की थीं। उन्हें अब संक्षेप में 4 प्रमुख श्रेणियों में बाँट दिया गया है।

1. श्रेणी ''ए'' की गतिविधियाँ

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन आधारित समुदाय कार्य/सार्वजनिक कार्य

(1) जल संरक्षण संरचनाएं (Water Harvesting Structures) -
चेक डेम, अर्दन डेम, स्टॉप डेम, भूमिगत डाइक

(2) जलग्रहण प्रवर्धन -

(1) कन्टूर ट्रेन्च (2) टेरेसिंग
(3) कन्टूर बन्ड (4) बोल्डर चेक डेम
(5) गेबियन स्ट्रक्चर

(3) सूक्ष्म एवं छोटे सिंचाई संरचना कार्य -

(अ) सूक्ष्म एवं छोटे सिंचाई संरचना निर्माण कार्य
(ब) सूक्ष्म एवं छोटे सिंचाई संरचना नव निर्माण, देखरेख, आदि

(4) परम्परागत जल स्त्रोत व पुनर्जीवीकरण (Renovation) करना -
सिंचाई टेंक तथा जल स्त्रोत की डिसिल्टींग

(5) वनीकरण (जंगल लगाना) (**Afforestation**) करना –

(अ) शामलात भूमि पर पौधारोपण एवं उद्यानिकी कार्य

(ब) सड़क किनारे, केनाल बैड, तटीय किनारे पर पौधारोपण कार्य करना

(6) शामलात भूमि पर भूमि विकास कार्य अथवा चरागाह विकास कार्य करना

2. श्रेणी ''बी'' की गतिविधियाँ

(1) कमजोर वर्ग के लिए व्यक्तिगत परिसम्पितियां सृजन करना –

(अ) कुआं खुदाई कार्य (डार्क ज़ोन के अलावा)

(ब) फार्म पौण्ड का निर्माण

(स) जल संग्रहण के कार्य

(2) आजीविका का विकास करना –

(अ) उद्याानिकी कार्य

(ब) सेरीकल्चर (रेशम पालन) कार्य

(स) पौधा रोपण

(द) फार्म फौरेस्ट्री

(3) पड़त और ऊसर भूमि का विकास करना

(4) इंदिरा आवास योजना में 90 अकुशल श्रम दिवस कार्य भुगतान

(5) पशु पालन को बढ़ावा देने के लिए भौतिक संसाधन निर्माण कार्य –

(अ) पोल्ट्री शेड

(ब) गोटरी शेल्टर

(स) केटल शेल्टर

(द) पिगरी शेल्टर

(य) चारा नांद (ट्रंक) पशुओं के लिए

(6) मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए भौतिक संसाधन का निर्माण करना –

(अ) फिश ड्राईंग याईस

(ब) फिश संग्रहण सुविधाएं

3. श्रेणी ''सी'' की गतिविधियाँ

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत स्वयं सहायता समूहों के लिए शामलात (Common) भौतिक संसाधन सृजन कार्य –

(1) कृषि उत्पादकता बढ़ाना –

(अ) बायो फर्टीलाइज़र के लिए संरचना

(ब) कृषि उत्पाद के लिए भंडारण हेतु पक्का कार्य

4. श्रेणी ''डी'' की गतिविधियाँ (ग्रामीण भौतिक संसाधन)

(1) ग्रामीण स्वच्छता कार्य –

(अ) व्यक्तिगत शौचालय निर्माण

(ब) विद्यालय शौचालय यूनिट

(स) आंगनवाड़ी शौचालय

(2) बारहमासी सड़क जुड़ाव –

(अ) पक्का रोड (ग्रेवल सड़क मय कलवर्ट)

(ब) पक्का आंतरिक रोड और मोहल्ला रोड जिसमें साईड की नालियां तथा कलवट्र्स शामिल हैं।

(3) खेल मैदान का निर्माण कार्य

(4) आपतकालीन प्रबंधन एवं रीस्टोरेषन कार्य

(अ) बाढ़ नियंत्रण

(ब) जल विकास कार्य

(स) स्टॉर्म वाटर ट्रेन – कोस्टल एरिया के लिए

(5) भवन निर्माण कार्य –

(अ) ग्राम पंचायत भवन

(ब) महिला स्वयं सहायता समूह की फेडरेषन हेतु भवन।

(स) ग्रामीण हाट

(द) शमषान भवन

(ह) आंगनवाड़ी भवन

(6) अन्न संग्रहण संरचना –

नेशनल फूड सिक्यूरिटी एक्ट 2013 के अनुसार खाद्यान्न भंडारण ग्रह

(7) देखरेख –

नरेगा के तहत सृजित परिसम्पत्तियों का रखरखाव

1.5 मनरेगा में क्या नहीं किया जा सकता ?

मनरेगा में ऐसे कार्य नहीं किये जा सकते हैं जो कि मूर्त (Tangible) नहीं हों, यानि जिन्हें मापा नहीं जा सके, तथा बार–बार किया जाना आवश्यक हो जैसे घास का बार–बार निकालना, कंकड, कृषि कार्य, हकाई, कटाई आदि कार्य।

1.6 नरेगा के तहत श्रम बजट तैयार करने और उसे अंतिम रूप देने के कार्य में शामिल विभिन्न चरणों की समय-सीमा

समय सीमा	चरण
15 अगस्त	ग्राम पंचायत की वार्षिक योजना को ग्राम सभा अनुमोदित करेगी और उसे नरेगा कार्यक्रम अधिकारी के पास प्रस्तुत करेगी।
	↓
15 सितम्बर	नरेगा कार्यक्रम अधिकारी समेकित ग्राम पंचायत योजनाओं को पंचायत समिति में प्रस्तुत करेगा।
	↓
2 अक्टूम्बर	ब्लॉक वार्षिक योजना को पंचायत समिति अनुमोदित करेगी और उसे ज़िला कार्यक्रम समन्वयक के पास प्रस्तुत करेगी।
	↓
15 नवम्बर	जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला वार्षिक योजना और श्रम बजट को जिला परिषद में प्रस्तुत करेगा।
	↓
1 दिसम्बर	जिला वार्षिक योजना को जिला परिषद अनुमोदित करेगी।
	↓
15 दिसम्बर	जिला कार्यक्रम समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए परियोजनाओं की सूची तैयार है।
	↓
31 दिसम्बर	श्रम बजट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।
	↓
जनवरी	ग्रामीण विकास मंत्रालय श्रम बजट की समीक्षा करेगा और यदि कोई कमी हो तो उन्हें दूर करने के लिए कहेगा।
	↓
फरवरी	ग्रामीण विकास की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं और श्रम बजट को अंतिम रूप दिया जाता है।
	↓
फरवरी, मार्च	सहमति प्राप्त श्रम बजट की सूचना राज्यों को दी जाएगी। श्रम के माहवार और जिलेवार विवरण के आंकड़ों को राज्य द्वारा एम.आई.एस. में डाला जाएगा और इसकी जानकारी जिलों/ब्लॉकों/ग्राम पंचायतों को देंगे।
	↓
7 अप्रैल से पहले	राज्य अर्थशेष की जानकारी केन्द्र की ग्रामीण विकास मंत्रालय को देंगे, जिसके आधार पर केन्द्र अग्रिम राशि/ पहली किश्त राज्यों को रिलीज करेगा।
	↓

स्त्रोत: मनरेगा दिशा निर्देश 2013

अध्याय–2

मनरेगा अन्तर्गत शामलात संसाधनों का विकास

2.1 शामलात संसाधनों (भूमि व जल) को मनरेगा के माध्यम से विकसित करने के चरण

1. चारागाह निर्धारण के बाद उसके विकास हेतु विस्तृत कार्य–योजना बनाएं:– ग्राम स्तरीय 'चारागाह भूमि विकास समिति' व फले स्तरीय समिति मिलकर फले/ग्राम स्तरीय बैठकें एवं जमीन की वस्तुस्थिति की जाँच कर एक विस्तृत कार्य–योजना बनाएंगी। इन योजनाओं में चारागाह भूमि का प्रस्तावित क्षेत्र, पेड़ व घास (चारा) की प्रजातियों का विवरण, ट्रेंच/चैकडेम आदि के कार्यों का विवरण तैयार करना होगा। यह 15 अगस्त तक हो जाना चाहिए।
2. उपर्युक्त कार्य–योजना वार्ड सदस्यों द्वारा विशिष्ट ग्राम सभा में अनुमोदित करवायी जाएगी:– तैयार कार्य योजना को ग्राम सभा में अनुमोदित कर उसको ग्राम पंचायत की मनरेगा वार्षिक कार्य–योजना में सम्मिलित कराना सुनिश्चित करें। यह कार्य 31 अगस्त तक पूर्ण हो जाना चाहिए।
3. पंचायत की वार्षिक योजनाओं को (पंचायत समिति की योजनाओं में जोड़ने के लिये) ग्राम पंचायत द्वारा सम्बन्धित पंचायत समिति के पास भेजा जाएगा। इसके पश्चात पंचायत समिति उसका अनुमोदन करेगी। यह प्रक्रिया 2 अक्टूबर तक पूर्ण हो जानी चाहिए।
4. पंचायत समितियों से अनुमोदित होकर सभी नरेगा वार्षिक योजनाएं जिला परिषद स्तर पर एकत्रित हो जाएंगी। जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला वार्षिक योजना और श्रम बजट को जिला पंचायत में प्रस्तुत करेगा।
5. तत्पश्चात नरेगा के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की सूची पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत के पास आ जाती है।
6. चारागाह विकास के स्वीकृत कार्यों को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है:– ग्राम पंचायत के कार्यों को शुरु करने के लिये तकनीकी सहायता पंचायत समिति के निर्धारित जे.टी.ए./गैर–सरकारी संस्था अथवा गांव में तैयार युवकों या पंचायत मेट से ले सकते हैं। इसके उपरान्त 'चारागाह विकास समिति' की सहायता से काम करने हेतु इच्छुक लोगों का आवेदन (फार्म–6) भरवा कर ग्राम पंचायत के सहायक सचिव/सचिव द्वारा सम्बन्धित पंचायत समिति को भेजा जाता है।
7. चारागाह विकास का कार्य शुरु किया जाता है:– नरेगा अन्तर्गत काम के आवेदकों की सूची के आधार पर पंचायत समिति स्तर से मस्टर–रोल जारी किया जाता है जिसके अनुसार चारागाह विकास का कार्य आंरभ किया जाता है।

8. चारागाह विकास हेतु नरेगा योजना के कार्यों की निगरानी:- देखरेख कार्य को मेट के अतिरिक्त चारागाह विकास समिति, वार्ड पंच एवं अन्य पंचायत प्रतिनिधि कर सकते हैं।

9. चारागाह को मनरेगा द्वारा विकसित करने के बाद चारागाह प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने हेतु गांव आधारित कुछ नियम बनाना आवश्यक है, जैसे पेड़ कटाई पर रोक आदि। यह नियम ग्राम स्तरीय चारागाह विकास समिति बनाएगी।

2.2 मनरेगा योजना के अन्तर्गत चारागाह विकास हेतु किए जाने वाले कार्य

राजस्थान में पशुपालन ग्रामीण आजीविका का आधार स्तम्भ है। परम्परागत रूप से राजस्थान में खुली चराई व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाती है। इन परिस्थितियों में चारागाह प्रबन्धन के साथ-साथ निम्नलिखित कार्यों को कर अपने गांव के चारागाह को विकसित कर अपनी आजीविका के तंत्र को मज़बूती प्रदान करें।

चारागाह को विकसित करने हेतु निम्न कार्य किए जा सकते हैं:

1. **भूमि विकास के कार्य:**

(क) चारागाह सीमा को सुरक्षित करने के लिये निम्न तकनीकों का प्रयोग करें -

- पशुरोधक खाई का निर्माण करना (जहाँ मिट्टी खुद सके उन जगहों पर)
- पत्थर की दीवार बनाना (जहाँ खुदाई नहीं हो सकती है)
- वेजिटेटिव फेंस/जैविक बाड़ बनाना (स्थानीय बाड़ में काम आने वाले पौधों की प्रजातियों को काम में लिया जा सकता है)
- तार बाड़ लगाना (मरुस्थलीय क्षेत्रों में किया जा सकता है)

(ख) भूमि व जल संरक्षण के कार्य -

- समतल भूमि:- यानि 5 प्रतिशत से कम हो तो प्लॉटिंग (खेतनुमा) क्यारियों का निर्माण करना।
- कंटूर ट्रेन्च:- यह ट्रेन्च पानी के बहाव की गति को धीमा करती है तथा भूमि के कटाव को रोकती है। यह कार्य 5 से 25 प्रतिशत के ढ़ाल वाली भूमि पर किया जा सकता है।
- चारागाह भूमि के अंदर छोटे नाड़ी/तलाब बनाया जा सकते हैं। (चारागाह साइट के आधार पर)

2. नाला उपचार का कार्य - यदि चारागाह भूमि के अंदर नाला है, तो उसका नाला उपचार का कार्य (चेकडेम/गेबियन) किया जा सकता है।

3. पौधारोपण व चारा (घास) लगाने का काम:

(क) चारा लगाने का कार्य (स्थानीय चारे की प्रजाति)

(ख) चारा उपलब्ध कराने वाले पौधों का रोपण

(ग) पौधारोपण का कार्य –

- गड्ढ़ा खुदाई का कार्य
- पौधारोपण:– स्थानीय प्रजाति के पौधों का पौधारोपण एवं थांवला बनाने का कार्य
- बीजारोपण:– बीज द्वारा कई पौधों की प्रजाति को विकसित किया जा सकता है।
- रख–रखाव के कार्य:– चारागाह की निड़ाई–गुड़ाई एवं थांवला मरम्मत का कार्य किया जा सकता है।

इनके अतिरिक्त स्थानीय ज़रूरत के आधार पर चारागाह विकास के अन्य कार्य भी लिए जा सकते हैं।

इस चरागाह की प्रति हैक्टर उत्पादकता = 1/2 क्विंटल

इस चरागाह की प्रति हैक्टर उत्पादकता = 4 क्विंटल

अध्याय–3

चारागाह भूमि विकास समिति की भूमिका एवं गठन

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 170 के अंतर्गत चारागाह भूमि के संचालन और विकास के लिए ग्राम स्तर पर एक 5 सदस्यीय 'चारागाह भूमि विकास समिति' की व्यवस्था की गई है। समिति का मुखिया वार्ड पंच होता है जबकि अन्य सदस्यों को ग्राम सभा के द्वारा चुना जाता है। ग्राम पंचायत को गांव/ढ़ाणी के स्तर पर चारागाह भूमि विकास समिति गठित करने का अधिकार होता है। चारागाह भूमि के विकास में महिलाओं की भागेदारी सुनिश्चित करने के लिए 5 सदस्यों में संबंधित गांव की 2 महिला प्रतिनिधियों को चुना जाना है। अगर वार्ड पंच ढ़ाणी से संबंध नहीं रखता है, तो ऐसे में चारागाह भूमि विकास समिति के 4 सदस्यों में किसी ऐसे सदस्यों को चारागाह भूमि विकास समिति का संयुक्त अध्यक्ष बनाया जाए जो उक्त ढ़ाणी का निवासी हो।

3.1 चारागाह भूमि विकास समिति की भूमिका और ज़िम्मेदारियां

1. चारागाह भूमि के प्रबन्ध व अभिशासन के संबंध में मानक एवम् प्रतिबन्धों का विकास करना।
2. गाँव के लिए चारागाह भूमि के विकास एवम् प्रबंधन के बारे में योजनाएं तैयार करना तथा उन्हें पंचायत की वार्षिक योजनाओं व परिप्रेक्ष्य से समायोजित करना।
3. चारागाह भूमि विकास एवम् प्रबंधन संबंधी योजनाओं के निष्पादन में सहायता करना।
4. ग्राम पंचायतों द्वारा चारागाह भूमि के विकास के लिए महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत जारी धनराशि का उपयोग करना।
5. चारागाह भूमि के विकास के बारे में ढ़ाणी व आसपास की ढ़ाणी में प्रचार प्रसार करना।
6. भूमि, जल तथा वनस्पति जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए उक्त विधियां बनाने में ग्राम पंचायत के स्तर पर गठित विकास और उत्पादन कार्यक्रम के लिए स्थाई समिति की सहायता करना।

3.2 चारागाह भूमि विकास समिति गठन के विभिन्न चरण

1. गाँव में उपलब्ध शामलात संसाधनों (चारागाह एवं बिलानाम भूमि) के विकास हेतु स्थानीय समुदायों को संगठित करना:- गांव समुदायों को शामलात संसाधनों के विकास हेतु गाँव/फले स्तर पर सभी लोगों की मीटिंग से शुरुआत करनी होगी। इस मीटिंग में गांव/फले के सभी परिवारों (कम से कम 10 प्रतिशत परिवारों) को सूचना कर इकठ्ठा करना होगा। इस कार्य की शुरुआत उक्त फले/गांव के वार्ड पंच द्वारा की जानी चाहिए। इस मीटिंग में गांव में उपलब्ध चारागाह व बिलानाम भूमि की उपलब्धता और उसकी स्थिति का आंकलन किया जाना है।

2. गांव/फले स्तर पर लोगों को संगठित करने के लिए एक से अधिक मीटिंग (2-3 बार) करनी होंगी, ताकि लोगों (समुदाय) को शामलात की महत्ता एवं उसके विकास की जरूरत को महसूस कराया जा सके।

3. गांव स्तर पर चारागाह भूमि विकास समिति का गठन किया जाए:- राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 170(ख) के अन्तर्गत चारागाह भूमि के संचालन और विकास के लिए ग्राम स्तर पर वार्ड पंच की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय 'चारागाह भूमि विकास समिति' का गठन किया जा सकता है। इस समिति की विस्तृत जानकारी 'संस्थागत ढ़ाचा' के भाग में दी गई है। ग्राम स्तर की समिति उन फलों/वार्डो को जोड़कर बनाई जाएगी जहां के समुदाय उक्त चारागाह पर निर्भर हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं। इस समिति में फले के सभी व्यस्क सदस्य होंगे। इसकी एक कार्यकारिणी गठित की जाएगी, जिसमें उस समिति की सदस्यता (परिवारों), विभिन्न वर्गो/समाजों के अनुपात में सदस्य हो सकते हैं।

4. यह ग्राम स्तरीय 'चारागाह विकास समिति' ग्राम पंचायत से अनापत्ति पत्र (NOC) प्राप्त करेगी:- पंचायती राज क़ानून के अन्तर्गत बनी ग्राम स्तरीय 'चारागाह विकास समिति' अपने प्रबंधन के अन्तर्गत आने वाले चारागाह पर लोगों के सामुदायिक अधिकार को सुरक्षित करने के लिये ग्राम पंचायत के साथ मिलकर कार्यवाही करेगी। इस हेतु ग्राम पंचायत से प्रस्ताव/संकल्प कराएगी तथा समिति के नाम पर अनापत्ति पत्र (NOC) प्राप्त करेगी। यह कदम ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आने वाले चारागाहों पर सुदृढ़ विकेन्द्रीकृत प्रशासन स्थापित करता है और उसे मज़बूती प्रदान करता है।

5. चारागाह भूमि की पहचान कर उसका सीमांकन करना:- गांव की 'चारागाह विकास समिति' को पंचायत के सहयोग से चारागाह की पहचान तथा सीमाज्ञान करवाना होगा। इस हेतु पंचायत द्वारा तहसीलदार/पटवारी को पत्र लिखकर बुलाएं और अपनी चारागाह भूमि, जो विकास हेतु प्रस्तावित है, का 'चारागाह भूमि विकास समिति' की उपस्थिति में गांव की राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी व नक्शे) की सहायता से सीमाज्ञान करवाकर उसका सीमांकन (पत्थर गढी) करवाया जाएगा।

अध्याय–4

चारागाह विकास के तकनीकी तरीके

राजस्थान में पशुपालन ग्रामीण आजीविका का एक महत्वपूर्ण अंग है। परम्परागत रूप से राजस्थान में खुली चराई व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाती है। इन परिस्थितियों में चारागाह का अपना ही महत्व है। पिछले कई वर्षों से कुप्रबन्धन, अत्यधिक चराई, मौसमी परिवर्तनों के कारण हमारे चारागाहों की उत्पादकता में दिनों दिन कमी होती जा रही है। अत: आज समय आ गया है कि जब हम चारागाह प्रबन्धन के साथ–साथ उपयुक्त तकनीकों का प्रयोग कर अपने गाँव के चारागाह को विकसित कर अपने आजीविका तंत्र को मज़बूती प्रदान कर सकते हैं।

इस विषय में चारागाह विकास के तकनीकी पहलुओं को लिखा गया है जो आपकी सहायता करेंगे।

4.1 भूमि विकास

1. सबसे पहले पटवारी की मदद से चारागाह का चिन्हीकरण कर सीमाबन्दी करवायें।
2. चारागाह ज़मीन की उत्पादकता को जाँचने के लिये आवश्यक है कि हम मिट्टी की जाँच करवायें।
3. मिट्टी की जाँच के परिणाम को अपनी पंचायत के कृषि पर्यवेक्षक को दिखा कर पूछें कि इस मिट्टी को किसी विशेष उपचार की आवश्यकता तो नहीं है: उदाहरण के तौर पर ऊसर भूमि पर जिप्सम का प्रयोग किया जाता है।
4. चारागाह की सीमा को सुरक्षित करने के लिये निम्न तकनीक का प्रयोग करें:–

(क) जहाँ मिट्टी खुद सकती हो वहाँ पशुरोधक खाई का निर्माण करना चाहिये। पशुरोधक खाई की ऊपर से चौड़ाई 5 फिट, नीचे से चौड़ाई 3 फिट और गहराई 4 फिट होनी चाहिये। दिये गये चित्र के अनुसार खाई खुदवायें। खाई खुदाई में निकली मिट्टी से एक डोल/बन्ड का निर्माण चारागाह के अंदर की ओर करवाये जाये। डोल की मिट्टी खाई से 1 फिट दूर डालनी चाहिये ताकि बरसात में मिट्टी खिसकने पर खाई में न जाये। इस डोल/बन्ड पर कांटेदार पौधे लगाये जाने चाहिये। इसके लिये सघन बीजारोपण अथवा कटिंग लगाई जानी चाहिये। बीजारोपण हेतु देसी बबूल जैसे काँटेदार प्रजातियों का चयन करें। छोटे पौधे भी लगाये जा सकते हैं।

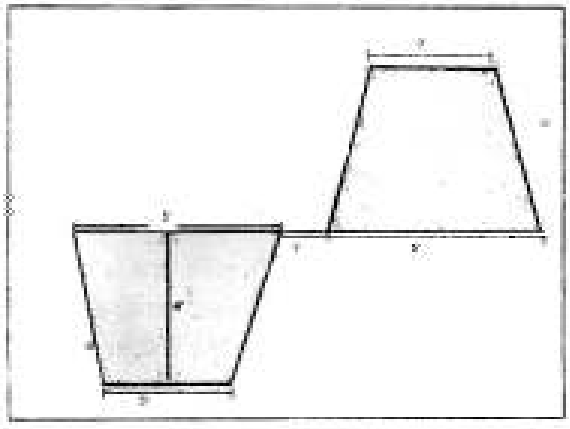

(ख) जहाँ खुदाई नहीं हो सकती वहाँ के चारागाहों पर पत्थर की दीवार बनाना ही एकमात्र हल है। पत्थर की दीवार का माप चित्र के अनुसार है। दीवार के ऊपर बबूल, बेर, इत्यादि की कांटेदार झांडियों को लगायें ताकि सुरक्षा और बेहतर हो सके।

(ग) वेजिटेटिव फेंस/जैविक बाड़ लगाने के लिए अगर गाँव में थोर भली प्रकार से लग जाती है तो आप थोर प्रयोग करके जैविक बाड़ बना सकते हैं। इन सभी तरह की बाड़ में, खासकर पशुरोधक खाई व पत्थर की दीवार में, जहाँ पर ढ़ाल हो वहाँ पानी निकासी हेतु जगह छोड़नी चाहिये।

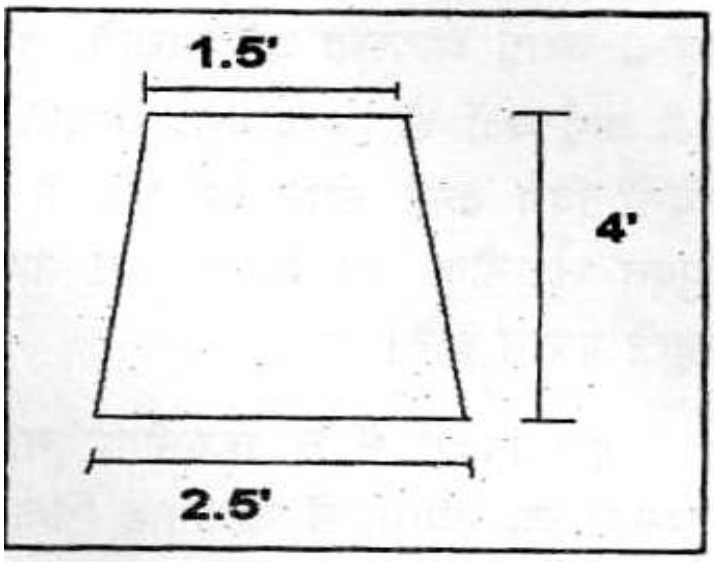

(घ) तार बाड़: मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहां ऊपर दिये गये उपाय काम न आये वहां सीमेंट के खंभे लगाकर तार बाड़ भी कर सकते हैं, परन्तु सामुदायिक भूमि पर लगाये गये तारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर श्रम सामग्री के अनुपात में ही यह कार्य होना चाहिए।

4.2 भूमि व जल संरक्षण

किसी भी भूमि के विकास के लिये आवश्यक है कि हम भूमि उत्पादकता बनाये रखें। उत्पादकता का सीधा सम्बन्ध मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व व नमी से है। अत: आवश्यक है कि हम मिट्टी के कटाव को रोकें ताकि उपजाऊ मिट्टी न बह जाये तथा पानी को रोककर मिट्टी में नमी व भूमिगत जल में सुधार किया जाये। इसके लिये जरूरी है कि हम अपने चारागाह का आंकलन करें तथा नीचे दी गई श्रेणीयों के अनुसार उपचार करे:-

(1) समलत भूमि:- समतल भूमि यानि ढ़ाल 5 प्रतिशत से कम हो तो ज़्यादा उपचार की आवश्यकता नहीं होती। आप यहाँ ज़्यादा प्लोटिंग कर सकते हैं। प्लोटिंग का मतलब है खेतनुमा क्यारियों का निर्माण करना जिसमें वर्षा का पानी समान रूप से भरा रहे।

(2) 5 से 25 प्रतिशत ढ़ाल या मध्यम ढ़ाल वाले क्षेत्र:- जब ढाल 5 से 25 प्रतिशत के बीच हो तो कटूंर ट्रेन्च एक सरल व कम लागत वाले भूमि व जल संरक्षण का उपाय है। कंटूर ट्रेन्च पानी के बहाव की गति को धीमा करती है तथा भूमि के कटाव को रोकती है।

4.2.1 कंटूर ट्रेन्च (यानी समान ऊँचाई वाली जगहों को जोड़ने वाली खाई)

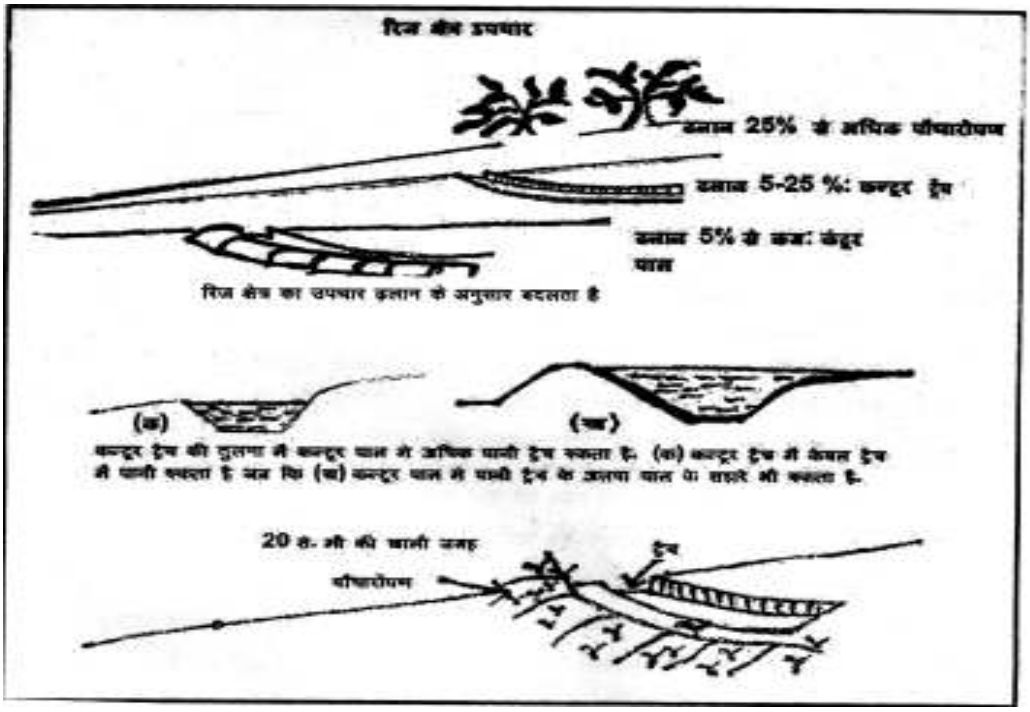

इस खाई में मिट्टी भर दी जाती है तथा जो पानी एकत्र होता है उससे क्षेत्र में नमी बनी रहती है। अत: कंटूर ट्रेन्च को पौधारोपण के साथ भी जोड़ कर देखा जा सकता है।

कंटूर ट्रेन्च के प्रकार

- 5 से 15 प्रतिशत ढ़ाल पर कन्टूर बनाई जाती है। यानी कि लगातार कंटूर खाई।
- 15–25 प्रतिशत ढाल पर स्टैगर्ड ट्रेन्च यानी छोटी छोटी ट्रेन्च बनाई जाती हैं। चित्र देखें।

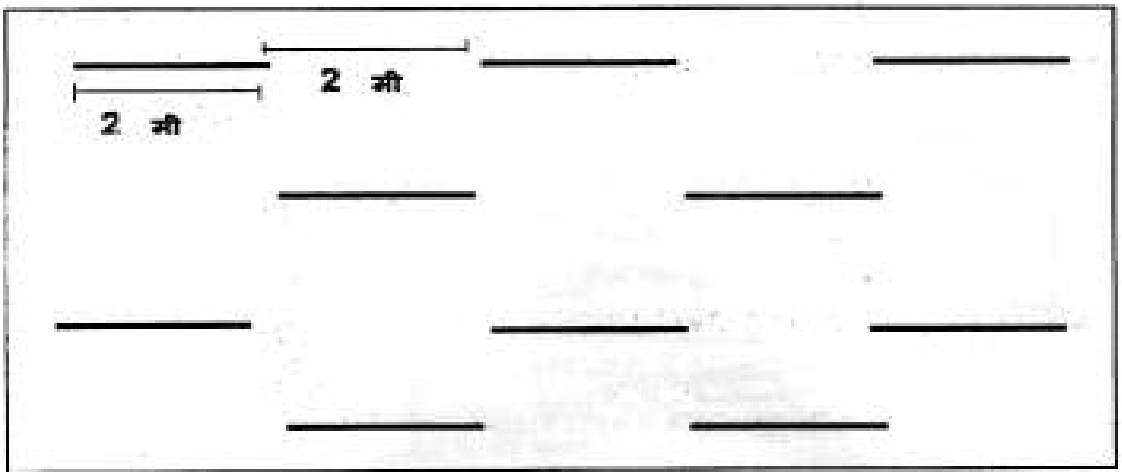

यानि ट्रेन्च की लाइन इस प्रकार हो कि ऊपर की ट्रेन्च से निकले अतिरिक्त पानी को नीचे की ट्रेन्च रोक पाये। इस प्रकार ट्रेन्च के टूटने का ख़तरा कम होता है।

कंटूर ट्रेन्च बनाते समय सावधानियाँ

(1) ज़्यादा ढ़ाल	:	कंटूर ट्रेन्च के मध्य की दूरी कम, पर 10 मीटर से कम नहीं।
(2) कम ढ़ाल	:	कंटूर ट्रेन्च दूर-दूर, पर 30 मीटर से ज़्यादा नहीं।
(3) ज़्यादा हरियाली	:	कम ट्रेन्च
(4) सख्त मिट्टी	:	कम पानी सोखने वाली मिट्टी है तो ट्रेन्च पास पास
(5) ज़्यादा वर्षा	:	ट्रेन्च पास-पास

कंटूर ट्रेन्च बनाते समय इन ग़लतियों से बचें

- 25 प्रतिशत से ज़्यादा ढ़ाल वाले क्षेत्रों में कंटूर न बनाऐं।
- 5 प्रतिशत से कम ढ़ाल वाले क्षेत्रों में कंटूर न बनायें।
- जहाँ ज्यादा पेड़ पौधे हों वहाँ खाई न खोदें।
- पौधों को ट्रेन्च के अंदर न लगायें।
- किसी पेड़ की जड़ मिलने पर कंटूर ट्रेन्च रोक दें।
- ट्रेन्च को नाले-नालियों के आर-पार न खोदें।

4.2.2 अधिक ढ़लान वाले क्षेत्रों में

25 प्रतिशत ढ़लान वाले क्षेत्रों में पौधारोपण ही सबसे कारगर उपाय है। अगर इस क्षेत्र में पत्थर मौजूद हो तो कंटूर लाइन लगाकर पत्थर के डाईक बनाने चाहियें। पत्थर के डाईक यानी पत्थर से चुनी गई छोटी डोल या दीवार। इन का माप 50 सेमी x 50 सेमी होता है।

4.2.3 नाले का उपचार

प्राय: देखा गया है भूमि कटाव के कारण छोटे छोटे नाले बन जाते हैं। इनका उपचार अगर नहीं किया जाता है तो ये बड़े नाले का रूप लेते हैं तथा भूमि कटाव के मुख्य कारण बन जाते हैं। इन नालों में चैक डैम बनाने चाहियें जिससे:

(1) भूमि के कटाव में कमी हो।

(2) पानी के बहाव में कमी हो।

(3) भूजल में बढ़ोतरी हो।

(4) नाले के अंतिम छोर पर तालाब/बांध हो तो उसकी जल संग्रहण क्षमता बनी रहे।

क. चैक डैम निर्माण की प्रक्रिया

(1) पत्थर द्वारा बनाये गये चैकडेम में 1 हैक्टयर (4 बीघा) से ज़्यादा का पानी नहीं आना चाहिये।

(2) 20 प्रतिशत से ज़्यादा ढ़ाल वाले नाले पर पत्थर से चैक डेम न बनायें।

(3) दोनों किनारे मज़बूत हों तभी चैकडैम का निर्माण करें।

(4) नाले में दो चैकडैम के मध्य की दूरी इस प्रकार हो कि नीचे वाले पानी का अंतिम छोर ऊपर के चैक डैम की जड़ को छुये।

दो चैकडैम के मध्य की दूरी तय करने का सरल तरीका

- ढ़ाल 10 प्रतिशत या उससे अधिक है तो दो चैकडैम के मध्य 10 मीटर की दूरी होनी चाहिये।
- ढ़ाल 5 प्रतिशत है तो दूरी 20 मीटर रखें।
- ढ़ाल 2 प्रतिशत है तो दूरी 50 मीटर रखें।

चैक डैम की सुरक्षा के लिये ज़रूरी है कि अधिक से अधिक पानी चैक डैम के ऊपर से गुज़रे। जितना कम पानी किनारों के सम्पर्क में आयेगा उतना कम कटाव होगा। इसलिये चैक डैम के मध्य हिस्से को नीचा तथा दोनों किनारों की तरफ से ऊँचा बनाना ज़रूरी है।

यदि नाले का तल पत्थरों का तल हो तो कोई ख़ास नींव देने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा 25 से.मी. गहरी नींव खोदें।

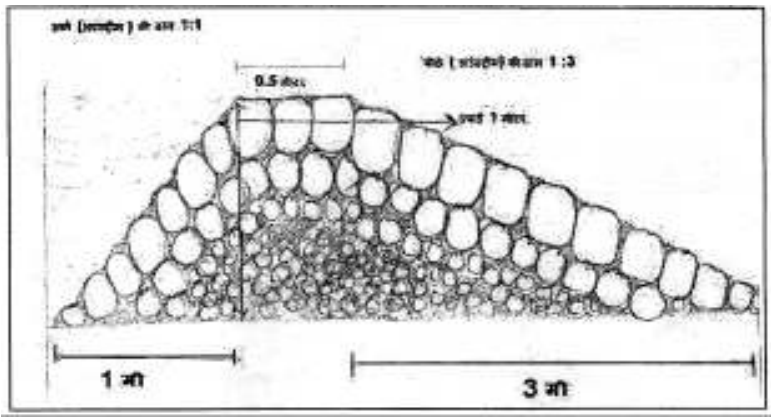

सामग्री:

बड़े पत्थरों को चैक डैम की बाहरी सतह पर लगायें तथा छोटे पत्थरों को अन्दरूनी हिस्से में जमायें।

लागतः

12 मीटर लंबे, 1 मीटर ऊंचे, 30 से.मी. शिखर की चैडाई वाले, 1.1 ऊपर की ढ़लान और 1.3 नीचे की ढ़लान वाले बोल्डर चेक की लागत लगभग 1500 रुपये है।

ख. क्या करें, क्या नहीं करें

- चैक डेम की ऊँचाई तल से अधिकतम 1 मीटर रखें।
- मध्य भाग की ऊँचाई तल से अधिकतम 1 मीटर रखें ।
- किनारों की ऊँचाई तल से अधिकतम 1.5 मीटर रखें।
- ऊपर की ढ़लान 1:1 होनी चाहिए।
- नीचे की ढ़लान 1:2 से 1:4 होनी चाहिए।
- 25 से.मी. तक नींव खोदें।
- चैक डेम को नाले के दोनों किनारों से 50 से.मी. तक गाढ़ दें।
- बड़े पत्थरों को नीचे (डाउनस्ट्रीम) की ओर बाहरी सतह पर जमाएं।
- छोटे पत्थरों को अन्दरूनी हिस्से में जमाएं।
- कोणीय पत्थरों का उपयोग करें।
- 20 प्रतिशत से अधिक ढ़ाल वाली नालियों पर बोल्डर चैक डैम न बनाएं।
- अस्थिर व नीचे किनारे वाली नालियों पर बोल्डर चैक डैम न बनाएं।
- जहाँ पत्थर आसानी से उपलब्ध न हों वहां बोल्डर चैक डैम न बनाएं।
- कभी भी ज़मीन में गढ़े हुए पत्थरों को खोद कर बोल्डर चैक डैम न बनाएं, इससे भूमि कटाव और बढ़ेगा।
- 15 से.मी. से कम व्यास तथा 1 किलोग्राम से कम वज़न के पत्थरों का उपयोग न करें।

4.3 चारागाह विकास हेतु पौधारोपण

राजस्थान में चारागाह विकास घास व छांगन दोनों के लिये किया जाता है। पशु पालन के लिये जहाँ घास महत्वपूर्ण है वहीं देसी बबूल, नीम, खाखरे के पत्ते, खेजड़ी, देसी बबूल की फली भी महत्वपूर्ण हैं। अतः घास के विकास के साथ-साथ पौधारोपण भी आवश्यक है।

4.3.1 घास बीजारोपण

राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न प्रकार की घास पाई जाती है। क्षेत्र के हिसाब से हमें घास बुवाई के लिये बीज को चुनना चाहिये। राजस्थान के पश्चिम हिस्से में सेवण ज़्यादा प्रचलित घास है तथा दक्षिण भाग में धामण घास तथा स्टाईलो हेमेटा घास। जलग्रहण विकास के कार्यों में धामन घास तथा स्टाईलो हेमटा का काफी प्रयोग हुआ है जो सफल भी रहा है। घास बीज की मात्रा 10

किलो प्रति हैक्टेयर होनी चाहिये जिसमें दो भाग धामण घास व एक भाग स्टाईलो हेमेटा घास का होना चाहिये।

धामण घास को जुताई करके भी बोया जा सकता है क्योकि बीज काफ़ी हल्का होता है। अत: घास के बीज को गोबर तथा काली मिट्टी के साथ छोटी-छोटी गोलियाँ बना कर भी बोया जा सकता है। स्टाइलो हेमेटा को थोड़ी नमी की आवश्यकता होती है। अत: कंटूर के ऊपर बोया जाना चाहिये।

मरुस्थलीय क्षेत्रों में सेवण घास पशुओं के लिए महत्वपूर्ण चारा है। इस चारे में 12 प्रतिशत प्रोटीन व 24 से 38 प्रतिशत फाईबर होता है जो पशुओं की पाचन शक्ति को बढ़ाता है। यह घास भूमि के कटाव को रोकने में भी सहायक है तथा कम पानी में भी यह पनप सकती है। अत: नरेगा योजना में ग्राम पंचायतों को इस दिशा में विशेष कार्य करना चाहिए।

4.3.2 वृक्षारोपण हेतु पौधों का चयन

पौधे का चयन आप क्षेत्र की जलवायु तथा लोगों की ज़रूरत के आधार पर कर सकते हैं। आप अपने आसपास के क्षेत्र को भी देखकर समझ सकते हैं कि वहां किस प्रकार के पौधे लग सकते हैं। अत: आप पौधे का चयन कर निकटतम वन विभाग की नर्सरी में से ले सकते हैं।

राजस्थान के परिपेक्ष में ज़रूरी है कि पौधे ऐसे हो जिनके पत्ते चारे के रूप में उपयोगी हों। नर्सरी में पौधे का चयन करते समय ध्यान दें -

(1) चुनी हुई प्रजाति के ही पौधे हों।

(2) पौधा मज़बूत हो, कम से कम 1 फीट ऊँचाई का पौधा हो ओर उसका तना मोटा हो।

(3) जड़ें थैली से बाहर न आई हों। जड़ें बहार आई हों तो चाकू से कटवा लें।

4.3.3 पौधारोपण

पौधारोपण के लिये ज़रूरी है कि पहले गड्ढ़े खोदे जाएं जिनमें निम्न बातों का ध्यान रखना है:

- गड्ढ़ा कम से कम 1.6 फीट गहराई, चौड़ाई 1.6 फीट, ऊँचाई 1.6 फीट का खोदना चाहिये।
- गड्ढ़े की खुदाई जनवरी/फरवरी के महीनों में हो जानी चाहिए ताकि पूरी गर्मी गड्ढ़े की मिट्टी धूप में तप कर तैयार हो जाये। इस प्रक्रिया में सब कीटाणु नष्ट हो जाते हैं।
- दूसरी बारिश की शुरुआत होते ही पौधारोपण प्रारम्भ करें।
- पौधा लगाने से पहले उसे थैली सहित पानी में डुबोयें एवं थैली पूरी गीली होने पर पानी से निकाल लें। ऐसा करने से पौधा 10-15 दिन पानी की कमी में भी जिन्दा भी रह सकता है।
- थैली को ब्लेड की मदद से काट लें। इस कार्य में सावधानी बरतें ताकि थैली के अंदर की मिट्टी न बिखरे।

- अब पौधा गड्ढ़े में लगाने के लिये तैयार है। गड्ढ़े में नीम की पत्ती या खल डालें और फिर आधा फिट गोबर या मींगणी की खाद डालें।
- पौधे को सीधा लगायें तथा मिट्टी को गड्ढ़े में भरने के बाद पैरों से खूब दबायें।
- पौधे की नीचे की ओर मिट्टी चढ़ाकर सीधा खड़ा करें। ढ़ाल की विपरीत दिशा में अर्द्ध-चन्द्राकार थांवला बनायें ताकि बरसात का पानी उसमें भर जाये, तथा पौधे को उपलब्ध हो सके।
- थांवले की अक्टूबर के महीने में दुबारा मरम्मत करनी चाहिये ताकि खरपतवार का नाश हो व मिट्टी थोड़ी नरम हो जाए। जहां कुदरती पौधे सुरक्षा मिलने पर उठ रहे हों उन्हे भी छांग कर सीधा करें तथा उनके चारों ओर भी अर्द्ध-चन्द्राकार थांवला बनायें जिससे पौधे को ज़्यादा पानी मिलेगा तथा उसका तेज़ी से विकास होगा।

4.3.4 बीज एकत्रीकरण का समय चक्र

जनवरी-मार्च	अप्रैल-जून	जुलाई-सितम्बर
खैर, कुमठा, हल्दू, सिरस, धौंक, कचनार, शीशम, करंज, बीजासाल, इमली, सागवान, अर्जुन, आंवला	बबूल, बेल, अरडू, धावड़ा, नीम सेमल, सालर, खाखरा, अमलतास, बांस, तेंदू, चुरैल, महुआ, आम, करंज, बीजासाल, चंदन, कडाया, जामुन, इमली, अर्जुन, रोहिड़ा, गोदल, बहेड़ा, गुंदा	कदम्ब, नीम, महुआ, आम, खिरनी, धामण, गुंदा, पलाष, शीषम, चंदन, सागवान, बहेड़ा, आवंला

4.3.5 बीज भण्डारण काल (वायबिलीटी)

एक माह से कम	1 से 6 माह तक	6 से 12 माह तक	1 से 2 वर्ष तक	2 वर्ष से अधिक
नीम, आम, जामुन, महुआ, पीपल, बरगद, गूलर, पलाश	हलदू, बेल, अरडूं, शीशम, आंवला, चुरैल, करंज, कड़ाया, गोदल, धावड़ा	खैर, कदम्ब, सेमल, खाखरा, शीशम, बांस, तेंदू, बीजासाल, अर्जुन, बहेड़ा, चंदन	कुमठा, कंचन, इमली, सागवान, बेर, रोहिड़ा	बबूल, सिरस, अमलतास

4.3.6 वृक्षारोवण हेतु चयनित प्रजातियां

रोपण स्थल	लड़की हेतु	चारा हेतु	ईंधन हेतु	फल हेतु	औषधि हेतु
छोटी पहाड़ियां ढ़ाल एवं घाटियां	रोंझ, बबूल, हल्दू, सिरस, रोहेड़ा, काला, सिरस, धावड़ा, धौंक, नीम, सेमल, सालर, अचार, अमलतास, काला शीशम, रोज़वुड, धेबन, बांस, तेंदू, चुरैल, लुनखोरा, कलिहरिया, गोदल, महुआ, कलम, तिसा, आंवला,बीजा, उम्बिया, चंदन, रोहन, सागौन, बहेड़ा, सादड, खिरनी, धिरनी, शीशम	रोंझ, बबूल कुमठा, हल्दू, बेल, सिरस कालासिरस, धावड़ा, धौंक, नीम, जिंझा, सेमल, सालर, खाखरा, बरना, धोबन, गोदल	खैर, रोंझ, बबूल, बेल, सिरस, धावड़ा, धौंक, नीम, जिंझा, सेमल, खाखरा, अमलतास, बरना, बरगद, महुआ, कलम, आंवला, बहेड़ा, सादड़, खिरनी, खिरना	बेल, आचार (चिराली), तेन्दू, महुआ, आंवला, खरपटा	खैर, बबूल, कुमठा, बैर सफेद सिरस, धावड़ा, नीम, जिंझा, सेमल, सालर, खाखरा, अमलतास, बांस, बरगद, गोदल, आंवला, चंदन, रोहन, कड़ाया, बहेड़ा, खिरनी, खिरना
पहाड़ी एवं पथरीले क्षेत्र	नीम, चुरैल, बेर, रोझ	नीम, बेर, रोंझ, गुंदी, कुमठा, खैर, विलायती, बबूल, रोझ, पापड़ी	नीम, बरगद, बिस्तेंदु, खैर, कुमठा, रोंझ	सीताफल बैर, गुंदी	नीम, बरगद
समतल भूमि	रोंझ, बबूल, हल्दु, अरडू धावडा, करंज, नीम, गुंदा, बांस, तेंदू, चुरैल, महुआ, आंवला, कणज, खेजड़ी, चंदन, इमली, सागोन, रोहिडा, बेर, नीम	रोंझ, बबूल, हल्दु, अरडू, धावडा, कदंब, नीम, गुंदा, गुंदी, खेजड़ी, बेर, चुरैल, सिरस, कालासिरस	खैर, रोंझ, बबूल, धावड़ा, कदंब, नीम, सेमल, खाखरा, अमलतास, गुंदा, गुन्दी, तेंदु, बरगद, पीपल, महुआ, आम, आंवला, करंज, खेजड़ी,	गुन्दा, गुन्दी तेन्दु, महुआ, आम, आंवला, इमली, बेर, खरपटा	खैर, बबूल, अरडू, धावड़ा, कदंब, नीम, सेमल, खाखरा, गुंदा, बांस, बरगद, पीपल, आंवला, कणज, खेजड़ी, चंदन, इमली, रोहिडा, बेर
जल स्त्रोत, नदी व नालों के तटीये क्षेत्र व नम भूमि	बबूल, जिंझा, अमलतास, बांस, अमन, कलम, कणज, खजूर, जामुन, अर्जुन, बहेडा, शीशम, केजूरिवा, पलाश	बबूल, जिंझा, खाखरा, बांस, अमन, बहेड़ा	बबूल, सीताफल, जिंझा	सीताफल, खजूर, जामुन	बबूल, जिंझा, खाखरा, अमलतास, बांस, करंज, अर्जुन, बहेड़ा, जामुन

शामलात संसाधनों को कैसे सुरक्षित किया जाए

अनुक्रमणिका

क्र.सं	विवरण	पृष्ठ संख्या
सवाल.1:	शामलात किसे कहते है?	24
सवाल.2:	शामलात भूमि या जल किसकी मिल्कियत होती हैं?	24
सवाल.3:	कानून में शामलात भूमियों के विषय में क्या कहा गया है?	24
सवाल.4:	शामलात के विषय में वैज्ञानिक नज़रिया क्या है?	25
सवाल.5:	शामलात संसाधन कौन-कौन से प्रकार होते हैं?	25
सवाल.6:	राजस्थान में भूमि आधारित शामलात को किन-किन वर्गों में बाँटा जा सकता हैं?	26
सवाल.7:	शामलात भूमियों का हमारे ग्रामीण जीवन में क्या महत्व है?	27
सवाल.8:	शामलात भूमियों को किस तरह का ख़तरा है?	27
सवाल.9:	शामलात संसाधनों का संरक्षण, विकास और प्रबन्धन ज़रूरी क्यों है?	28
सवाल.10:	शामलात संसाधनों के संरक्षण, विकास और प्रबन्धन में पंचायती राज संस्थाएं किस तरह की भूमिका अदा कर सकती हैं?	28
सवाल.11:	पंचायतों को उपर्युक्त भूमिका निभाने के लिए क्या कोई कानूनी शक्ति भी दी गई है?	29
सवाल.12:	हमारी ग्राम पंचायत किस तरह से प्रक्रिया की शुरुआत कर सकती है ताकि शामलात भूमि की पहचान हो सके और संरक्षण हेतु कार्यवाही आगे बढ़ाई जा सके?	30
सवाल.13:	एक राजस्व गाँव में कितनी चरागाह/चरनोट भूमि होनी चाहिए, यह कैसे पता लगाया जाय?	32
सवाल.14:	पशु गणना के आधार पर एक राजस्व गाँव में यदि चरागाह/चरनोट भूमि पर्याप्त क्षेत्रफल में उपलब्ध है तो उसे सुरक्षित व विकसित करने हेतु क्या करें?	32
सवाल.15:	चरागाह विकास में पंचायत की स्थायी समिति की भी कोई भूमिका है क्या?	32
सवाल.16:	चरागाह भूमि के विकास व प्रबन्धन से क्या वार्ड सभा का भी कोई सम्बन्ध है?	33
सवाल.17:	सुना है कोई चरागाह भूमि विकास समिति भी पंचायत के तहत बनाई जाती है। वह कैसे बनाई जाती है और क्यों ?	33
सवाल.18:	एक राजस्व गाँव में पशु गणना के हिसाब से चरागाह/चरनोट भूमि यदि अपर्याप्त है या बिल्कुल नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए?	34
सवाल.19:	किसी गाँव में यदि चरागाह भूमि तो है (पर्याप्त या अपर्याप्त), लेकिन उस पर अतिक्रमण कर लिया गया है। अतिक्रमण हटाने के लिए क्या करें?	35
सवाल.20:	उक्त कार्यवाही करने के बावजूद भी यदि अतिक्रमण न हटे तब क्या करें?	36
सवाल.21:	अपने गाँव के चरागाहों का विकास करने (यानी घास/पेड़ लगाने, जल-मिट्टी संरक्षण करने, बाड़ लगाने) हेतु सरकारी मदद कहाँ से मिल सकती है?	36

सवाल.1: शामलात किसे कहते हैं?

जवाबः आमतौर पर ग्रामीण समुदाय सामूहिक संसाधनों का समान रूप से उपयोग एवं उपभोग करता है एवं उनके रख–रखाव व प्रबंधन की ज़िम्मेदारी भी निभाता है। हमारे गाँवों के संदर्भ में चारागाह, सामुदायिक वन, प्रतिभूमियाँ, ओरण, सार्वजनिक कूड़ा–कचरा फेंकने के धुरे, खलिहान भूमियाँ, जल–धाराओं की नालियाँ, गाँवों के पोखर–तालाब, टाँके, नदियाँ, नाले, उनके किनारे और नदी तल आदि सामूहिक संसाधनों में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों के खेल के मैदान, मेले, रामलीला, शमशान एवं कब्रिस्तान की भूमि भी शामिल हैं। इस प्रकार के सामूहिक प्राकृतिक संसाधनों को शामलात कहा जाता है। ग्रामीणों द्वारा इन लोकोपयोगी भूमियों का उपयोग लोगों, मवेशियों एवं गाँव के हित में सदियों से किया जाता रहा है।

सवाल.2: शामलात भूमि या जल किसकी मिल्कियत होती हैं?

जवाबः 'शामलात' या 'सामुदायिक संसाधन' वह संसाधन हैं जो किसी ख़ास व्यक्ति की सम्पत्ति न होकर कई व्यक्तियों या पूरे गाँव समुदाय की साझी सम्पत्ति होती है। इन साझे सामुदायिक संसाधनों का सामूहिक रूप से उपयोग किया जाता है। कुछ ज़मीनें (जैस बीड़) ऐसी भी शामलात की श्रेणी में आती हैं जो होती तो हैं किसी एक व्यक्ति की निजी सम्पत्ति, परन्तु उन्हें उपयोग करने की अनुमति सभी को होती है। गाँवों में चारागाह हेतु छोड़ी गयी भूमि एक मुख्य उदाहरण हैं 'शामलात' का।

शामलात (commons) या सामूहिक संसाधन एक ऐसा संसाधन है जिस पर लोगों का समूह बराबर–बराबर उपयोग–अधिकार रखता है। शामलात ग़रीब ग्रामीणों के जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। यह ग़रीब लोग भूमिहीन, खेतिहर मज़दूर, ग्रामीण कारीगर, छोटे व मंझोले किसान, आदि हो सकते हैं। एक अहम बात यह है कि शामलात भूमि या जल संसाधन पर इन ग़रीब ग्रामीणों की निर्भरता राजस्थान जैसे सूखे (शुष्क) क्षेत्रों में अत्यधिक होती है। दूसरी बात, शामलात से मतलब केवल सरकारी या सार्वजनिक भूमियाँ/जल ही नहीं है बल्कि वे संसाधन (भूमि, जल, जंगल) भी हैं जो ग्राम पंचायत के स्वामित्व में हैं।

सवाल.3: कानून में शामलात भूमियों के विषय में क्या कहा गया है?

जवाबः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955 के अनुसार ज़मीनों को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया हैः 1) खातेदारी भूमि, 2) गैर–खातेदारी भूमि। गाँव की चारागाह भूमि को गैर–खातेदारी वाली श्रेणी में रखा गया है और उसे 'शामलात भूमि' का नाम दिया गया है। दूसरी तरफ राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा–2 के अनुसार ''शामलात भूमि वह है जो किसी व्यक्ति विशेष के अधिकार या उपयोग में न आकर, सम्मिलित रूप से स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए होती है।''

भारत के लगभग सभी हिस्सों में आज स्थिति यह है कि गाँव का सामूहिक कानूनी अधिकार केवल कुछ विशेष श्रेणी की जमीनों (जैसे गोचर, चरनोट, चारागाह भूमि, ग्राम वन) पर ही रह गया है, जो कि ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के कानूनी अधिकार में है। कानूनी तौर पर देखा जाय

तो अन्य जमीनें जैसे बंजर/पड़त भूमि, बिलानाम भूमि, अकृषि गैर-निजी भूमि, जंगल भूमि, आदि सभी या तो राजस्व विभाग या वन विभाग की मिल्कियत हैं। हालांकि ऐसी सरकारी जमीनों पर गाँव के गरीब लोग निर्भर रहते हैं और उनसे जलावन, घास व अन्य वस्तुएं प्राप्त करते हैं।

सवाल.4: शामलात के विषय में वैज्ञानिक नजरिया क्या है?

जवाब: शामलात संसाधनों की 'साझा-सम्पत्ति व्यवस्था' को चिर-संतुलित बनाने के लिए नोबल पुरस्कार से सम्मानित स्वर्गीय डॉ. एलिनौर ऑस्ट्रोम ने 8 सूत्र सुझाए हैं:

1. शामलात संसाधनों की एक स्पष्ट रूप से परिभाषित बाउण्ड्री होनी चाहिए।
2. स्थानीय स्तर पर उपयोग करने वाले तथा प्रतिबन्धित करने वाले नियमों के बीच सामंजस्य/समरूपता होनी चाहिए।
3. सामूहिक विकल्प व्यवस्था हो जिसके तहत संसाधनों का उपयोग करने वाले दावेदारों की निर्णय-प्रक्रिया में भागीदारी रहे।
4. मॉनीटर द्वारा प्रभावी मॉनीटरिंग/निगरानी होनी चाहिए।
5. जो उपयोग-कर्ता समुदाय/समाज द्वारा बनाये गये नियमों/उसूलों को तोड़ते हैं उनके विरुद्ध सख्ती या दण्ड प्रावधानों को लगाना।
6. विवाद निपटारे की उन विधियों या यन्त्रावलियों को लागू करना जो आसान व सस्ती हैं।
7. समुदाय के अधिकारों को सरकार द्वारा मान्यता दिया जाना जरूरी है।
8. बड़े क्षेत्रफल या सघन क्षेत्रफल वाले शामलात संसाधनों में बहु-स्तरीय संस्थाओं का होना आवश्यक है।

सवाल.5: शामलात संसाधन कौन-कौन से प्रकार होते हैं?

जवाब: शामलात को वृहद रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में बाँटा जा सकता है:

1. भूमि आधारित शामलात: जैसे चारागाह, चरनोट, चराई भूमि, ओरण, कूड़ा-गोबर डालने की जगह (खत्ता), कचरा फेंकने के धुरे, खलिहान भूमियाँ, नदी-नाले के किनारे की भूमि (riverine lands), खेल के मैदान, मेला ग्राउण्ड, रामलीला ग्राउण्ड, मन्दिर भूमि, शमशान, कब्रिस्तान, घास-चारा उगाने वाली सामूहिक भूमि, सवाई चक, सामूहिक बीड़, निजी बीड़, आदि।

2. जल-आधारित शामलात: जैसे नदी, नाला, जल-धाराओं की नालियाँ, पोखर, तालाब, जलाशय, टाँके, बावड़ियाँ, नदीतल, जोहड़, आगार, समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने वाले क्षेत्र, कोरल रीफ, भूजल क्षेत्र, आदि।

3. जंगल-आधारित शामलात: जैसे विभिन्न प्रकार के जंगल, ग्राम वन, बनी, मेंग्रुव जंगल, जैव-विविधता आदि।

4. जीन संसाधन: हर जीव (वनस्पति या जन्तु) की कोशिका (जो कि एक बुनियादी इकाई होती है) में स्थित डी.एन.ए. बहुत से जीन से मिलकर बना होता है और यह जीन जीव की संरचना से लेकर हर चीज़ बनाने के काम को निर्धारित करती हैं। उदाहरण के लिए, मक्का का दाना या भुट्टा, मक्का के पौधे की लम्बाई, पत्ती की बनावट, पोषक तत्व सोखने की क्षमता, इत्यादि सारे

लक्षण/गुण/शक्तियाँ कोशिकाओं में निहित जीन से ही निर्धारित होती हैं। जीवों के यह लक्षण एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्वत: चले जाते हैं बीज या अण्डे के जरिये। इन्हीं जीन के जरिये भिन्नताएं भी पैदा होती हैं, जैसे हम सबके चेहरे, आवाज़, चाल-ढ़ाल, बनावट, क्षमताएं, सोच, सब कुछ जुदा-जुदा होता है। ख़ास बात यह है कि ये जीन संसाधन एक शामलात हैं और शामलात रहना चाहिये। कुछ कम्पनियाँ व व्यक्ति अपने एकल फायदे के लिए इन जीन संसाधनों पर एकाधिकार स्थापित कर रहे/रही हैं।

5. ज्ञान संसाधन: गाँव में समुदायों तथा समूहों का ज्ञान एक साझी विरासत होता है और वह पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होता है। मसलन खेती करने का ज्ञान, झोंपड़ी बनाने का ज्ञान, जानवर चराने का ज्ञान, बीज संरक्षित रखने का ज्ञान, आदि। यह ज्ञान यदि समुदाय का हो तो वह ज्ञान संसाधन एक शामलात होता है जिस पर किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं हो सकता। आजकल कई व्यवसायिक लोग/व्यक्ति बहुत से समुदायों के साझे ज्ञान को लिखकर ले जाते हैं और पेटेण्ट करा लेते हैं।

सवाल.6: राजस्थान में भूमि आधारित शामलात को किन-किन वर्गों में बाँटा जा सकता हैं?

जवाब: राजस्थान में शामलात भूमि को मौटे तौर पर दो श्रेणियों में रखा जाता है:-

अ. क़ानूनी तौर पर वर्गीकृत शामलात (de jure common lands): यह वह भूमि होती है जो गाँव की सीमा के अन्दर आती है और औपचारिक रूप से ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के अधीन होती है। यह सारी ज़मीनें जमाबन्दी के 12 विभिन्न वर्गों में बाँटी जा सकती हैं, जैसे:-

i) पड़त
ii) गांवाई बीड़
iii) नदी-नालों के किनारे, तालाब, कुआं, धर्मनाड़ी
iv) चारागाह/चरनोट भूमि
v) ओरण/देवबनी
vi) ग्राम वन भूमि
vii) शमशान/कब्रिस्तान भूमि
viii) खलिहान भूमि
ix) गोबर, कूड़ा डालने का स्थान
x) खेल मैदान, मेला मैदान
xi) आम रास्ता
xii) स्नानघर

ब. हक़ीक़त में शामलात के रूप में उपयोग वाली भूमि (de facto common lands): यह उन भूमियों का वर्ग है जो शामलात संसाधन के रूप में वास्तव में उपयोग होती हैं, भले ही वह गाँव की सीमा के बाहर स्थित क्यों न हों। इस श्रेणी के अन्दर निम्न प्रकार की भूमियाँ शामिल हैं:-

i) बिलानाम भूमि (राजस्व विभाग की मिल्कियत) - क़ाबिले-काश्त व नाक़ाबिले-काश्त
ii) ग़ैर-कृषि उपयोग का क्षेत्र (fallow Land)
iii) वन भूमि ।

सवाल.7: शामलात भूमियों का हमारे ग्रामीण जीवन में क्या महत्व है?

जवाब: कृषि और पशु-पालन राजस्थान में आजीविका के प्रमुख स्त्रोत होने के कारण ख़ास महत्व रखते हैं तथा आजीविका बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 26 प्रतिशत हिस्सा शामलात भूमि है। लेकिन, चारागाह भूमि कुल क्षेत्र का केवल 4.95 प्रतिशत है जो राज्य के 540.34 लाख मवेशियों के पोषण के लिए कम है। इससे यह पता चलता है कि प्रदेश का एक बड़ा भाग शामलात भूमि के हिस्से में आता है जो कि ग़रीब ग्रामीण समुदायों की आजीविका संबंधी आवश्यकताओं को पूरी करने में मदद करता है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं एवं बच्चे ज़्यादा शामलात भूमि से अपनी दैनिक आवश्यकताओं (जैसे ईंधन, चारा व जल) को पूरी करते हैं। वर्तमान संदर्भ में शामलात के महत्व को और व्यापक तौर पर समझा जाना ज़रूरी है। ग्रामीण समुदाय के जीवन-यापन में शामलात भूमि के महत्व को निम्न बिन्दुओं से समझा जा सकता है:

- घास-चारे की 80 प्रतिशत आवश्यकता आज भी शामलात भूमियों से पूरी होती है।
- ग़रीब परिवारों की 14 से 23 प्रतिशत आय शामलात से होती है।
- शामलात ग्रामीण क्षेत्र में पारिस्थितिक संतुलन बनाये रखने में मदद करते हैं। साथ ही जलचक्र को बनाये रखते हैं।
- जैव-विविधता को संरक्षण प्रदान करते हैं।
- ग्रीन हाऊस गैसों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं।

सवाल.8: शामलात भूमियों को किस तरह का ख़तरा है?

जवाब: राज्य में आजादी से पूर्व एवं आजादी के बाद 1950 में लागू किये गये भूमि सुधार के अलग-अलग कार्यक्रमों एवं नीतिगत फैसलों के फलस्वरूप ऐसी परिस्थितियाँ बनीं जिसके कारण समुदाय आधारित शामलात प्रबंधन की पारम्परिक व्यवस्थाएं भंग हो गई एवं ग्रामीण समुदाय शामलात के रख-रखाव के प्रति उदासीन हो गया एवं पंचायतों ने भी इन संसाधनों की ओर उचित ध्यान नहीं दिया। इसका सबसे अधिक प्रभाव चारागाह भूमि पर पड़ा है। फलस्वरूप चारागाह भूमियों पर बलशाली लोगों के कब्जे होते गये। सरकार द्वारा भी विभिन्न विकास योजनाओं, खनन, उद्योगों एवं गरीब गैर-खातेदारों को भूमि आवंटन भी अधिकतर शामलात भूमियों में से किये जाने के निर्णय लिये गये। समय के साथ-साथ शामलात के क्षेत्रफल में लगभग 6 प्रतिशत की गिरावट आई है। शामलात भूमि में गिरावट के मुख्य कारण हैं:

- भूमि उपयोग में परिवर्तन (गैर-कृषि एवं कृषि)
- स्थानीय संगठनों की कमी और मान्यता ना मिलने के कारण रख-रखाव में ग्रामीण समुदाय की उदासीनता

- बढ़ती जनसंख्या का अधिक दबाव
- चराई व जलाऊ लकड़ी के लिए स्पष्ट सामुदायिक अधिकारों का अभाव
- खेती के तहत अधिक भूमि के उपयोग को प्रोत्साहन
- भूमि वितरण में राजनीति
- औद्योगिक विकास, खनन एवं जैव-ईंधन की खेती में शामलात बंजर भूमि का उपयोग
- विकास परियोजनाओं के लिए अधिक से अधिक भूमि का आवंटन
- प्रशासनिक व्यवस्थाओं का कमज़ोर होना आदि ।

शामलात भूमि में गिरावट तथा उन तक पहुँच में कमी का सबसे ज़्यादा असर राज्य के अति ग़रीब परिवारों के सामाजिक स्तर एवं पशुधन पर पड़ता है।

सवाल.9: शामलात संसाधनों का संरक्षण, विकास और प्रबन्धन ज़रूरी क्यों है?

जवाब: चारागाहों के विकास एवं देख-रेख की मुख्य जिम्मेदारी पंचायतों एवं राजस्व विभाग की होती है। परन्तु राज्य के भूमि संबंधी नीतिगत फैसलों, अधिनियमों, नियमों व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के सामने पंचायतें एवं राजस्व विभाग चारागाह के संरक्षण के उत्तरदायित्वों को पूरी तरह से नहीं निभा पाते हैं। जिसके फलस्वरूप चारागाह भूमि पर प्रभावी बलशाली लोग क़ब्जा कर लेते हैं या चारागाह भूमि का आवंटन अन्य कम महत्व के विकास एवं सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों के लिए कर दिया जाता है। पंचायतों की उदासीनता का सबसे अधिक प्रभाव चारागाह के संरक्षण पर पड़ा है।

राज्य में शामलात भूमियों के संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि:-

1. राज्य में चारागाह भूमि का कुल क्षेत्रफल केवल 4.95 प्रतिशत है।
2. अधिकतर चारागाह भूमि पर बलशाली लोगों के अवैध अतिक्रमण हैं।
3. अधिकतर चारागाह भूमियाँ पंचायत के खातों में दर्ज नहीं हैं।
4. चारागाह भूमियों का सीमांकन ज़मीनों पर नहीं है एवं संरक्षित करने के उपायों का अभाव है।
5. खाली पड़ी चारागाह भूमि के रख-रखाव का अभाव है।
6. पंचायतें एवं ग्रामीण समुदाय चारागाहों के प्रबंधन के प्रति उदासीन हैं।

अत: शामलात के विकास व उचित प्रबंधन के लिए ग्रामीण समुदायों की आवश्यकताओं, उनके उपयोग, उपभोग के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए संगठित समुदाय आधारित व्यवस्था बनानी आवश्यक है।

सवाल.10: शामलात संसाधनों के संरक्षण, विकास और प्रबन्धन में पंचायती राज संस्थाएं किस तरह की भूमिका अदा कर सकती हैं?

जवाब: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा-50, 51 एवं 52 में सामूहिक सम्पत्ति संसाधनों, जिसमें शामलात भूमि भी शामिल हैं, के बारे में पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

धारा–50: पंचायतों के कार्य एवं अधिकार

1. सार्वजनिक संपत्ति पर से अतिक्रमण को हटाना।
2. पशुजल स्थलों (stands), चारा भण्डारण संरचनाओं, चारागाह भूमि और सामुदायिक भूमि पर नियंत्रण करना एवं संरक्षण प्रदान करना।
3. चारागाह भूमि का रख–रखाव और विकास।
4. चारागाह ज़मीनों के अनाधिकृत व्यवहारों को रोकना।
5. कुओं, भण्डारण संरचना, पीने के पानी के तालाबों, तलाईयों, एनिकट, आदि की मरम्मत या रख–रखाव करना।
6. सार्वजनिक/सामुदायिक परिसंपत्तियों का रख–रखाव करना।

इसी प्रकार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा–51 एवं 52 के अन्तर्गत पंचायत समितियों एवं ज़िला परिषदों के कार्यों एवं अधिकारों (शक्तियों) का उल्लेख है। इस अधिनियम के अध्याय–9 के नियम–136 में पंचायत की संपत्तियों की परिभाषा दी गई है। जिसके अनुसार समस्त सामूहिक या सार्वजनिक भूमि, सार्वजनिक सड़कें एवं रास्ते पंचायतों की संपत्तियों में निहित होंगे। सरकार इनके उपयोग के लिए सार्वजनिक हित में नियम बना सकती है।

पंचायती राज नियम 169 से 172 में चारागाह प्रबंधन, चारागाह के विकास के बारे में, चराई प्रभार के बारे में एवं जल स्त्रोतों के प्रबंधन के बारे में उल्लेख किया गया है। जैसे: पंचायतें इनके रख–रखाव को बनाये रखें, इनसे होने वाली आय को बढ़ाने के लिए चारागाह में उपयुक्त किस्म की झाड़ियाँ, घास, पेड़–पौधे लगाऐं। इन पर अतिक्रमण रोकें एवं हटाऐं। चारागाह में पशुओं की चराई पर नियम बनायें एवं चराई शुल्क प्राप्त करें। यद्यपि इनमें ग्रामीण समुदाय के स्थान पर निर्वाचित पंचायत को रखा गया है जिससे सामूहिक संपत्तियाँ, तथागत् अनुसमर्थन एवं समुदाय के विषय के बजाय, पंचायती राज संस्थाओं और सरकार के द्वारा उगाही योग्य हो जाती हैं एवं वे अचल संपत्तियाँ बन जाती हैं, जिन पर उपार्जन किया जा सकता है।

सवाल.11: पंचायतों को उपर्युक्त भूमिका निभाने के लिए क्या कोई कानूनी शक्ति भी दी गई है?

जवाब: 11वीं अनुसूची (73वी संशाधन), राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान राजस्व भूमि अधिनियम, 1956 के अनुसार प्राकृतिक संसाधन के क्षेत्र में सामान्यत: एवं शामलात भूमि की सुरक्षा एवं विकास के क्षेत्र में खासकर निम्नलिखित अधिकार निहित हैं:

- पंचायत क्षेत्र (सर्कल) में आने वाली शामलात भूमि के सामुदायिक उपयोग की प्रक्रिया को दिशा देना
- भूमि की भौतिक सीमा के निर्धारण हेतु क्रियाविधि तैयार करना ताकि सीमा के सम्बन्ध में स्पष्टता हो (सामूहिक उपयोग की जगहों पर नक्शे के द्वारा), ताकि शामलात भूमि का सामूहिक उपयोग सुनिश्चित हो।
- सामुदायिक अधिकारों का लेखा एवं शामलात भूमि दर्ज करने वाले शामलात भूमि रजिस्टर का ग्राम पंचायत स्तर पर समुदाय आधारित प्रक्रिया से संधारण करना सुनिश्चित करना।

- पंचायत क्षेत्र (सर्कल) में आने वाली समस्त शामलात भूमि में होने वाले अतिक्रमण की पहचान कर अतिक्रमी को नोटिस देकर बिना किसी फसाद के अतिक्रमण को हटाना।
- ग्राम स्तरीय समिति/संस्था को गठित करना जिसमें सभी समुदायों के सभी प्रथागत अधिकारों एवं शामलात भूमि पर आधारित आजीविका अधिकारो को सुनिश्चित करना एवं चुने हुए प्रतिनिधि को समिति का पदेन अधिकारी नियुक्त करना।
- नियम एवं उपनियमों का निर्धारण (सेक्शन 104, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994) करना जो कि समतामूलक एवं न्यायपूर्ण तरीके से शामलात भूमि से होने वाले फायदों का बटवारा कर सके।
- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के कार्यक्रमों के संपादन की देखरेख 'चारागाह विकास समिति' या 'ग्राम/ढ़ाणी स्तर की समिति' के माध्यम से करना जिसमें जलग्रहण विकास समिति, ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समिति, जैव विविधता समिति, लघु सिंचाई समिति, इत्यादि के द्वारा करना।

- अभियान के माध्यम से नीति के प्रावधानों एवं अन्य सरकारी आदेशों के प्रति जागृति लाना
- दीर्घकालीन योजनाओं के माध्यम से भूमि के पुनर्वास की योजना बनाना तथा महात्मा गाँधी नरेगा की वार्षिक योजना में शामिल करवाना।
- समुदाय के सदस्यों की शामलात संसाधनों के सतत् उपयोग के लिए क्षमतावर्धन करना एवं इस कार्य में सरकारी एवं गैर सरकारी विषय विशेषज्ञों, शिक्षाविदों एवं सामाजिक संगठनों को भी सम्मिलित करना।
- तकनीकी सलाह समूहों को शामिल करना जिसमें सरकारी एवं गैर सरकारी विषय विशेषज्ञों, शिक्षाविदों एवं सामाजिक संगठनों, प्राकृतिक संसाधन विशेषज्ञ एवं व्यक्तियों द्वारा शामलात संसाधनों के संरक्षण का कार्य किया जा सके।

सवाल.12: हमारी ग्राम पंचायत किस तरह से प्रक्रिया की शुरुआत कर सकती है ताकि शामलात भूमि की पहचान हो सके और संरक्षण हेतु कार्यवाही आगे बढ़ाई जा सके?

जवाबः शामलात भूमि की पहचान प्रक्रिया की शुरुआत दो स्तर पर सीधे तौर पर की जा सकती है:-

1. ग्राम सभा की कार्यसूची (agenda) में शामलात के विषय को शामिल कर ग्राम सभा के सदस्यों से सीधा संवाद प्रारम्भ करें। पंचायत सचिव, ग्राम सभा में उच्च न्यायालय का निर्णय 2011 एवं राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011, 2012 व 2013 में जारी सभी परिपत्रों को पढ़कर सुनाऐं व उनका सही मतलब समझायें। ग्राम सभा में उपस्थित सभी वर्गों के साथ चर्चा प्रारम्भ करें।
2. ग्राम सभा के सदस्यों की आम सहमति से पंचायत की शामलात भूमि (चारागाहों) की पहचान करने एवं उनको संरक्षित व उनका विकास करने के सम्बन्ध में संकल्प पारित करें।

संकल्प:- 'ग्राम पंचायत .....(नाम) द्वारा आयोजित ग्राम सभा दिनांक ...../...../2013 में शामलात भूमि के संदर्भ में राज्य सरकार के निर्देषों पर चर्चा कर आम सहमति से पंचायत के चारागाहों की पहचान करने, वास्तविक स्थिति का आंकलन कर, उन्हें सुरक्षित करने का संकल्प पारित करती है।'

3. ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प की सूचना संकल्प की छायाप्रति के साथ पंचायत सचिव द्वारा तहसीलदार को भेजी जानी चाहिए।

4. आगामी पंचायत की कोरम की बैठक में सभी वार्ड पंचों के साथ संकल्प पर चर्चा करें। क्या व कैसे कार्यवाही आगे बढ़ायी जाये? इस सम्बन्ध में चर्चा कर आम सहमति से निर्णय लें।

(क) सभी वार्ड पंच अपने-अपने वार्ड में सभी समुदायों के लोगों से चर्चा करें। चर्चा में आए विचारों से आगामी कोरम की बैठक में पंचायत के संज्ञान में लायें।

(ख) कोरम की बैठक में पंचायत सचिव गोचर भूमि व अन्य शामलात का पूर्ण ब्यौरा एवं क़ानूनी स्थिति को बतायें। (पंचायत के खातों में इन्द्राज़ एवं दस्तूर गंवई के आधार पर) सभी बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा करें एवं कार्यवाही को आगे बढ़ायें:-

(i) पंचायत के प्रत्येक ग्राम में स्थित चारागाहों (गोचर भूमि) एवं अन्य शामलात भूमि की पहचान करें एवं वर्तमान स्थिति का आंकलन करें। ग्राम समुदायों के किन-किन वर्गों द्वारा इनका उपभोग किस तरह से एवं किसलिए किया जा रहा है?

(ii) पंचायत के किन-किन गाँवों में गोचर (चारागाहों) की भूमि समुदाय के उपयोग एवं आजीविका के लिए उपलब्ध नहीं है?

(iii) जिन गाँवों में चारागाह भूमि नहीं है उन गाँवों में अन्य उपलब्ध राजस्व बिलानाम, बंजर आदि भूमि का ब्यौरा सम्बन्धित पटवारी से लें।

(iv) पंचायत के रिकॉर्ड में शामलात भूमियों सम्बन्धी कोई कमी हो तो उसे पूर्ण करने का निर्णय लें।

(v) उपलब्ध गोचर भूमि को प्रभावी तौर पर संरक्षित करने के उपायों पर विचार करें एवं निर्णय लें।

(ग) पंचायत की कोरम की बैठक में लिये गये सभी निर्णयों की विस्तृत रिपोर्ट बनाकर सचिव आगे की कार्रवाई के लिये पंचायत की 'विकास एवं उत्पादन स्थायी समिति' को दे एवं एक प्रति सम्बन्धित विकास अधिकारी को भी भेजें।

सवाल.13: एक राजस्व गाँव में कितनी चारागाह/चरनोट भूमि होनी चाहिए, यह कैसे पता लगाया जाये –

जवाब: गाँव की पशु गणना के आधार पर चारागाह भूमि की ज़रूरत की गणना की जा सकती है। चारागाह भूमि की ज़रूरत की गणना करने की विधि निम्नानुसार है:–

1 बड़े मवेशी के लिए आधा (½) बीघा चारागाह ज़मीन चाहिए » इस आधार पर गाँव में जितने बड़े मवेशी हैं उनकी संख्या को आधा बीघा से गुणा कर दो। उतनी ज़मीन चाहिए। छोटे जानवरों हेतु चारागाह ज़मीन को कैसे निकालेंगे? ग 5 छोटे मवेशी =1 बड़ा मवेशी =) बीघा आशा है आप आसानी से यह हिसाब लगा सकते हैं!

सवाल.14: पशु गणना के आधार पर एक राजस्व गाँव में यदि चारागाह/चरनोट भूमि पर्याप्त क्षेत्रफल में उपलब्ध है तो उसे सुरक्षित व विकसित करने हेतु क्या करें?

जवाब: यदि चारागाह/चरनोट भूमि पर्याप्त क्षेत्रफल में पहले से उपलब्ध है या बिलानाम भूमि को चारागाह भूमि में परिवर्तित करवाया जाता है तब चारागाह भूमि के विकास हेतु ग्राम पंचायत को जनभागीदारी से कार्य करने चाहिएं। चारागाह/चरनोट भूमि के विकास हेतु किस तरह के कार्य करने चाहिएं यह आगे के कई सवाल–जवाब में बताया गया है।

सवाल.15: चारागाह विकास में पंचायत की स्थायी समिति की भी कोई भूमिका है क्या?

जवाब: जैसा कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 55क में उल्लिखित है प्रत्येक पंचायत ''विकास और उत्पादन कार्यक्रम'' हेतु एक स्थाई समिति का गठन करेगी जिसमें कृषि, पशुपालन, लघु सिंचाई, सहकारी, कुटीर उद्योग, चारागाह भूमि तथा अन्य संबद्ध विषय निहित होंगे। इस स्थाई समिति की भूमिका और जिम्मेदारियां निम्नवत् होंगी:

1. चारागाह विकास समिति, जल ग्रहण विकास समिति जैसी समितियों द्वारा प्राकृतिक संसाधन के प्रबंध हेतु बनायी गयी विभिन्न योजनाओं का निष्पादन तथा योजना सम्बन्धी सुधार के लिए सुझाव देना। समिति योजनाओं के क्रियान्वयन एवम् कार्यक्रमों के बारे में पंचायत को सूचित करना।
2. नीति के क्रियान्वयन संबंधी मामले में किसी भी क्षेत्र विशेष का निरीक्षण।
3. विभिन्न पंचायतों के बीच प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण उपायों का प्रचार–प्रसार करना।
4. प्राकृतिक संसाधन के प्रबन्धन हेतु उप–विधियों के बारे में पंचायत को सलाह देना जिससे सामूहिक भूमि के लाभों का न्यायपूर्ण और निष्पक्ष उपयोग संभव हो सके।
5. चारागाह भूमि के विषय में जागरूकता का प्रसार।
6. चारागाह भूमि के विकास के लिए कृषि व अन्य सरकारी विभागों से सहायता लेना।
7. महात्मा गांधी नरेगा एवम् राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्धन से जुड़े अन्य कार्यक्रमों का निरीक्षण करना।

स्थाई समिति, ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी सभी समितियों जैसे – जल ग्रहण विकास समिति, चारागाह भूमि विकास समिति, जैव–विविधता समिति, आदि – से जुड़े विषयों पर कार्य करने वाली विभिन्न संस्थाओं के एक सम्मिलित केन्द्र के रूप में कार्य करेगी।

सवाल.16: चारागाह भूमि के विकास व प्रबन्धन से क्या वार्ड सभा का भी कोई सम्बन्ध है?

जवाब: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, धारा 12(2) के अन्तर्गत पंचायत के क्षेत्र को एकल सदस्य वार्ड में बाटां गया है। पंचायत के प्रत्येक वार्ड में एक 'वार्ड सभा' होनी चाहिए जिसका अपने क्षेत्र की चारागाह भूमि विकास के संबंध में निम्न उत्तरदायित्व है:

1. चारागाह भूमि विकास योजनाएं बनाने के लिए अपेक्षित ब्यौरों के संग्रह और संकलन में पंचायत की सहायता करना।
2. गांव की चारागाह भूमि पर सामुदायिक अधिकारों की पहचान करना।
3. चारागाह भूमि विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन को प्रभावी बनाने में सहायता करना।
4. चारागाह भूमि विकास समिति की योजनाओं का अनुमोदन करना।
5. वार्ड सभा में होने वाले समस्त कार्यों का सामाजिक लेखा परीक्षण करना तथा उक्त कार्यों से संबंधित प्रयोग व समापन प्रमाण पत्र देना।
6. चारागाह भूमि विकास समिति के कार्यकलापों की निगरानी करना।

सवाल.17: सुना है कोई चारागाह भूमि विकास समिति भी पंचायत के तहत बनाई जाती है। वह कैसे बनाई जाती है और क्यों ?

जवाब: राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 170 के अंतर्गत चारागाह भूमि के संचालन और विकास के लिए ग्राम स्तर पर एक 5 सदस्यीय 'चारागाह भूमि विकास समिति' की व्यवस्था की गई है। समिति का मुखिया वार्ड पंच होता है जबकि अन्य सदस्यों को ग्राम सभा के द्वारा चुना जाता है। ग्राम पंचायत को गांव/ढ़ाणी के स्तर पर चारागाह भूमि विकास समिति गठित करने का अधिकार होता है। चारागाह भूमि के विकास में महिलाओं की भागेदारी सुनिश्चित करने के लिए 5 सदस्यों में संबंधित गांव की 2 महिला प्रतिनिधियों को चुना जाना है। अगर वार्ड पंच ढ़ाणी से संबंध नहीं रखता है, तो ऐसे में चारागाह भूमि विकास समिति के 4 सदस्यों में किसी ऐसे सदस्यों को चारागाह भूमि विकास समिति का संयुक्त अध्यक्ष बनाया जाए जो उक्त ढ़ाणी का निवासी हो। चारागाह भूमि विकास समिति की भूमिका और ज़िम्मेदारियां निम्नवत् होंगी:

1. चारागाह भूमि के प्रबन्ध व अभिशासन के संबंध में मानक एवम् प्रतिबन्धों का विकास करना।
2. गाँव के लिए चारागाह भूमि के विकास एवम् प्रबंधन के बारे में योजनाएं तैयार करना तथा उन्हें पंचायत की वार्षिक योजनाओं व परिप्रेक्ष्य से समायोजित करना।
3. चारागाह भूमि विकास एवम् प्रबंधन संबंधी योजनाओं के निष्पादन में सहायता करना।
4. ग्राम पंचायतों द्वारा चारागाह भूमि के विकास के लिए महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत जारी धनराशि का उपयोग करना।

5. चारागाह भूमि के विकास के बारे में ढ़ाणी व आसपास की ढ़ाणी में प्रचार प्रसार करना।
6. भूमि, जल तथा वनस्पति जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए उक्त विधियां बनाने में ग्राम पंचायत के स्तर पर गठित विकास और उत्पादन कार्यक्रम के लिए स्थाई समिति की सहायता करना।

सवाल.18: एक राजस्व गाँव में पशु गणना के हिसाब से चारागाह/चरनोट भूमि यदि अपर्याप्त है या बिल्कुल नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए?

जवाब: ऐसी स्थिति में उपलब्ध नाकाबिल-ए-काश्त बिलानाम भूमि को चारागाह में परिवर्तित कराने हेतु आवेदन देना होगा, जिसकी प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में दर्शाई गई है:

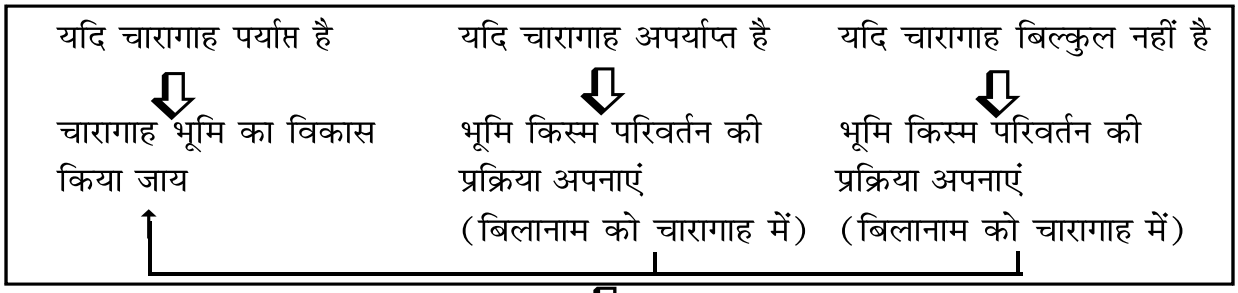

चरण-1 ग्राम सभा में मुद्दे सहित चर्चा करके बिलानाम भूमि को चारागाह में परिवर्तित करने के लिए सबूत (आराजी संख्या, रक्बा, किता, नक्षा) सहित प्रस्ताव तैयार करवाना (राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955, नियम 6 और राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956,धारा 92)। ग्राम सभा में निम्न लिखिति मुद्दों पर चर्चा करनी है:-

». कितनी बिलानाम भूमि चारागाह हेतु चाहिए

». ख़सरा संख्या एवं कुल रक़्बा जिसका परिवर्तन करना चाहते हैं

चरण-2 ग्राम पंचायत द्वारा लैटरहेड पर NOC या प्रार्थना पत्र तहसीलदार के नाम लिखकर तहसील कार्यालय में जमा किया जाएगा। दस्तावेज़ों की पावती लेना न भूलें । (चरण-1 में उल्लेखित उपर्युक्त प्रस्ताव, जमाबंदी एवं नक्शा साथ में लगाना है)

चरण-3 राजस्व विभाग (तहसीलदार तथा उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.एम.) के मध्य) आंतरिक पत्राचार चलेगा और राजस्व विभाग व ग्राम पंचायत के बीच भी आंतरिक पत्राचार चलेगा ।

चरण-4 राजस्व विभाग द्वारा भूमि का मौका पर्चा बनाया जाएगा और मौका पर्चा बनाते समय गाँव वालों का उपस्थित रहना आवश्यक है (पंचनामा बनेगा, कोरे पेपर पर साइन न करें)

(पंचनामे की कॉपी RTI के तहत तहसील से प्राप्त की जा सकती है)

चरण–5 उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.एम.) किस्म परिवर्तन हेतु वांछित भूमि संबन्धित आपत्तियां प्राप्त करने हेतु नोटिस जारी करेगा। आपत्ति भेजने हेतु 15–30 दिन का समय मिलेगा ।

⇩

चरण–6 उपर्युक्त भूमि से संबन्धित किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आने पर उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) किस्म परिवर्तन हेतु आदेश व नामांतरण–पत्र जारी करेगा।

⇩

चरण–7 चारागाह में परिवर्तित की गई बिलानाम भूमि को पटवारी द्वारा नामांतरण किया जायेगा (ग्राम पंचायत को एक कॉपी प्राप्त होगी) ।

⇩

चरण–8 परिवर्तित चारागाह पटवारी द्वारा सीमाज्ञान कर सीमांकन किया जायेगा तथा ग्राम पंचायत को सुपुर्द कर सुपुर्दगीनामा पंचायत से प्राप्त किया जाएगा ।

⇩

चरण–9 परिवर्तित चारागाह भूमि को ग्राम पंचायत के संपत्ति रजिस्टर (प्रपत्र–21) में दर्ज कराना है

⇩

चारागाह भूमि को सुरक्षित करके विकसित करना

- गाँव के लोगों (या चारागाह विकास समिति) द्वारा परिवर्तित चारागाह को सुरक्षित करना तथा विकसित करना ।
- किसी सरकारी योजना (जैसे नरेगा) अन्तर्गत चारागाह भूमि पर विकास कार्य कर उसे संरक्षित करना ।

सवाल.19: किसी गाँव में यदि चारागाह भूमि तो है (पर्याप्त या अपर्याप्त), लेकिन उस पर अतिक्रमण कर लिया गया है। अतिक्रमण हटाने के लिए क्या करें?

जवाब: राजस्थान पंचायती राज नियमए 1996 के नियम 165 के प्रावधानों के अनुसार आबादी क्षेत्र के मामले में ग्राम पंचायत को अतिक्रमण की बेदख़ली के अधिकार निहित हैं। इस क़ानून को पंचायत सर्किल के भीतर शामलात भूमि के लिए विस्तारित किया जाएगा जिससे पंचायत निम्न कार्य कर सकती है:

1. शामलात भूमि पर अतिक्रमण के मामलों का पता लगाने के लिए हर साल जनवरी और जुलाई के महीनों में पंचायत सर्किल के अंतर्गत आने वाली शामलात भूमि और तालाब तल का भोतिक सर्वेक्षण का संचालन करने के लिए तथा उनके विकास और उत्पादन

कार्यक्रम पर स्थायी समिति को निर्देशित किया जाए।

2. शामलात भूमि पर कब्जों/अतिक्रमणों को विवरण सहित पंचायत सचिव द्वारा एक रजिस्टर में दर्ज किया जाए।
3. पंचायत सर्किल क्षेत्र में अतिक्रमणकारी को भूमि से बेदख़ली के लिए ग्राम पंचायत नोटिस जारी करे। जब कभी भी ऐसे नोटिस जारी किये जायें तब पंचायत या उसके सदस्य अथवा सचिव द्वारा अतिक्रमी को निषेधाज्ञा जारी की जाय जिसे ना मानने की स्थिति में अतिक्रमी द्वारा खर्चा भरने की ज़िम्मेदारी पर ही अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी। अतिकर्मी का पक्ष सुनने के लिए ग्राम पंचायत एक निश्चित तारीख़ दे।
4. अपवाद स्वरूप ऐसी भूमि को छोड़कर जिस पर अनुसूचित जाति/जनजाति, भूमिहीन मज़दूरों या सदस्यों को पट्टे दिए गए हों अथवा स्कूल, औषधालय, पंचायत के कार्यों के लिए उपयोग किया जा रहा हो, के आलावा अन्य सभी प्रकार के अतिक्रमणों के मामलों को शीघ्र बेदखल किया जाये। इस कार्यवाही के लिए पंचायत संकल्प के साथ तहसीलदार को लिखित में सूचित करे।
5. अधिनियम की धारा 110 के अनुसार या पंचायत अपनी भूमि पर अतिक्रमण को हटाने के लिए उप-संभागी मजिस्ट्रेट एवं पुलिस की सहायता ले सकती है।
6. पंचायत चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने वालों पर लगाए गए दंड से प्राप्त राशि को पंचायत निधि में पूरी तरह से जमा किये जाने को सुनिश्चित करे।

सवाल.20: उक्त कार्यवाही करने के बावजूद भी यदि अतिक्रमण न हटे तब क्या करें?

जवाब: ऐसी स्थिति में ई-सुगम (http://sugamrpg.raj.nic.in) पर शिकायत दर्ज कराएं। यह राजस्थान सरकार की एक वेबसाइट है समस्त शिकायतों के लिए, जिस पर की गई शिकायत की जानकारी राज्य के मुख्य सचिव महोदय को जाती है। शिकायत पश्चात मुख्य सचिव महोदय उसका स्वयं संज्ञान लेते हुए सम्बन्धित अधिकारी या जिलाधिकारी को आदेश करते हैं जिन्हें 15 दिनों के अन्दर कार्यवाही करके रिपोर्ट देनी होती है।

सवाल.21: अपने गाँव के चारागाहों का विकास करने (यानी घास/पेड़ लगाने, जल-मिट्टी संरक्षण करने, बाड़ लगाने) हेतु सरकारी मदद कहाँ से मिल सकती है?

जवाब: चारागाह विकास कार्य हेतु निम्नलिखित योजनाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकती है:

1. महात्मा गाँधी नरेगा
2. एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम
3. हरित राजस्थान योजना
4. वन विभाग द्वारा संचालित ग्रीन इण्डिया मिशन
5. अन्य योजना ।